[2020] 3 एस. सी. आर. 562

बशीरा बेगम

वी.

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

(2010 की आपराधिक अपील संख्या 417)

31 जनवरी, 2020

[आर. भानुमति और इंदिरा बनर्जी, जे. जे.]

दंड संहिता, 1860 - s.120B & s.302 r/ws। 34 - परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामला-अभियोजन का मामला कि डी 2 (का पुत्र)

ए4) और डी1 (ए3 का भतीजा) दोस्त थे-ए3 और ए4 के भाई और डी2 के चाचा, जो मलेशिया में रहते थे, के पास भारत में संपत्तियां थीं, जिनका प्रबंधन ए3 द्वारा किया जाता था-ए3 और डी2 के बीच शत्रुता तब पैदा हुई जब उपरोक्त भाई ने ए3 से संपत्तियां वापस ले लीं और डी2 को उनका प्रबंधन सौंपा-डी2 की ए4 द्वारा आयोजित और/या नियंत्रित पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन की मांग ने संपत्ति को जन्म दिया। डी2, उसके भाई (ए1) और उनके पिता (ए4) के बीच विवाद-अभियोजन पक्ष के अनुसार, आरोपी ने 21.6.90 पर एक होटल में एक कमरा बुक किया।

जहाँ उन्होंने डी2 को मारने की साजिश रची-ए1 ने 20 पर या लगभग एक लॉरी खरीदी/21.12.90-अल ने उस मोटर साइकिल को मारा जिस पर डी2 और डी1 सवार थे, अपने लॉरी के साथ-ए2 और ए7 ने लॉरी से उतरकर डी2 और डी1 पर हमला किया, जो अपनी मोटर साइकिल से गिर गए थे, लोहे की छड़ से और उनकी मौत का कारण बने-सभी आरोपी (ए1-ए8)

यू/एस को दोषी ठहराया गया था। 120 बी-ए1, ए2 और ए7 को भी दोषी ठहराया गया था। s.302 r/ws। 34 - उच्च न्यायालय ने सभी अभियुक्त व्यक्तियों को बरी कर दिया-आयोजितः

अभियोजन पक्ष केवल निर्णायक रूप से यह स्थापित करने में सक्षम रहा है कि 28.12.90 पर लगभग 8:30 बजे, डी2 ने ए4 के स्वामित्व वाली मोटरसाइकिल चलाई।

पिलियन पर डी1 के साथ-दो को सड़क पर, खून से लथपथ अवस्था में और उनकी मोटरसाइकिल के पास लेटे हुए देखा गया-अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा कि डी2 और डी1 को ए2 और ए7 द्वारा रॉड से पीटा गया था-यह किसी अज्ञात वाहन से जुड़ी 'हिट एंड रन' दुर्घटना में डी1 और डी2 के मारे जाने की संभावना से भी इनकार करने में सक्षम नहीं था-सबूतों में अंतर्निहित असंभवताएं और विसंगतियां हैं-यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि आरोपी का डी1 को मारने का कोई मकसद था-घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था-लॉरी की खरीद को डी2 की हत्या के भयावह उद्देश्य के लिए जिम्मेदार ठहराना बेतुका होगा-हत्या का मकसद स्थापित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने कोशिश की

562 बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

परिवार के सदस्यों के बीच असामान्य नहीं है-यह भी हो सकता है

हालाँकि, उनके बीच झगड़े, अपने बेटे की हत्या की साजिश रचने के लिए एक पिता को जिम्मेदार ठहराने के लिए, अधिक सम्मोहक कारण होने चाहिए-अभियोजन पक्ष यह साबित करने में विफल रहा कि होटल या कहीं और डी 2 को मारने की कोई साजिश थी-जब अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाले परिस्थितिजन्य साक्ष्य होते हैं, तो अपराध के लिए एक उद्देश्य साबित करना आवश्यक होता है-हालाँकि, उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य है-इस मामले में, कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है कि अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को स्थापित करने में विफल रहा।

उचित संदेह से परे-उच्च न्यायालय ने आरोपी को सही ढंग से बरी कर दिया-दंड प्रक्रिया संहिता। 161 , 313 - भारत का संविधान

कला. 136 .

आपराधिक कानून-उचित संदेह से परे परिवेशीय साक्ष्य प्रमाण आयोजितः संदेह कितना भी प्रबल क्यों न हो सकता है

यदि साक्ष्य के विश्लेषण पर दो विचार संभव हैं, एक जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा जो अभियुक्त के अपराध से असंगत है, तो दूसरे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए-जब अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाला परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है, तो अपराध के उद्देश्य को साबित करना आवश्यक होता है-हालांकि, जहां प्रत्यक्ष साक्ष्य होता है, वहां उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

याचिकाओं को खारिज करते हुए अदालत ने

पप्पाकुलम और उनकी मोटरसाइकिल पास में पड़ी थी। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और मौखिक साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों, यह संभावना नहीं पाई गई है कि मृतक को लोहे की छड़ से पीट-पीटकर मार दिया गया था। पीडब्लू-22 की राय थी कि डी2 टक्कर के बाद मोटर साइकिल से गिर गया और भाग गया। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि मृतक को रॉड से पीट-पीटकर मार दिया गया था। अभियोजन पक्ष किसी अज्ञात वाहन से जुड़ी 'हिट एंड रन' दुर्घटना में डी1 और डी2 के मारे जाने की संभावना से भी इंकार नहीं कर सका है।

0] 3 एस. सी. आर. हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

साक्ष्य में अंतर्निहित असंभवताएँ और विसंगतियाँ भी हैं जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करती हैं कि मृतक को ए 2 और ए 7 द्वारा लोहे की छड़ से पीटा गया था। इसका कोई कारण नहीं है कि ए 2 और ए 7 को लॉरी से उतरने और डी2 और डी1 को लोहे की छड़ से पीटने का जोखिम क्यों उठाना चाहिए था, जब ए 1 दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

उनके मोटर साइकिल के खिलाफ उसकी लॉरी, उन्हें घातक रूप से घायल कर देती है और कम से कम एक (डी 2) को चला देती है, यदि दोनों नहीं। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आरोपी का डी1 को मारने का कोई मकसद था। इसके अलावा, जबकि यह आरोप लगाया जाता है कि ए 2 और ए 7 ने दोनों मृतकों को लोहे की छड़ से मारा था, गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने ए 7 के कथित कबूलनामे पर घटना के एक महीने बाद एक खुले, आसानी से सुलभ तालाब से कथित तौर पर केवल एक लोहे की छड़ बरामद की गई है। किसी अन्य लोहे की छड़ के साक्ष्य में कोई फुसफुसाहट नहीं है। पीडब्लू 29, एकमात्र गवाह जिसने गवाही दी कि ए 2 ने अपनी उपस्थिति में पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति दी, पुलिस को मांगुडी ले गया और अपनी उपस्थिति में एक तालाब से लोहे की छड़ को बाहर लाया, उसे यह भी याद नहीं था कि तालाब में कोई पानी था या नहीं। न ही वह ए 7 की पहचान कर सका। छड़ को कभी भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। के आधार पर ए 2 या ए 7 को दोषी ठहराना खतरनाक होगा पीडब्लू-29 की गवाही या उस मामले के लिए, कोई अन्य गवाह। ए 2 और ए 7 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने में हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं हो सकता। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अभियोजन पक्ष ने लॉरी नं. टीएसएल 6579 परिस्थिति के माध्यम से घटना के लिए

साक्ष्य, पीडब्लू-6, पीडब्लू-7, पीडब्लू-8, पीडब्लू-11, पीडब्लू-12, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15, पीडब्लू-16, पीडब्लू-17, पीडब्लू-19, पीडब्लू-25, पीडब्लू-27, पीडब्लू-35, पीडब्लू-42, पीडब्लू-43, पीडब्लू-44 और पीडब्लू-45 की जांच करके और भौतिक वस्तुओं पर भी भरोसा करके।

जैसे टूटे हुए कांच के टुकड़े, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े, घटना स्थल से जब्त किए गए पेंट स्क्रैपिंग के साथ-साथ टीएसएल 6579 नंबर वाली लॉरी की नंबर प्लेट, बल्ब के साथ एक संकेतक और आंशिक रूप से नारंगी और आंशिक रूप से पारदर्शी प्लास्टिक कवर, बल्ब और कवर के बिना संकेतक, लैंप और पीले कांच के कवर के साथ 14.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार लैंप और बिना लैंप और कवर के 14.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार लैंप धारक। घटना स्थल से नंबर प्लेट, संकेतक और लैंप जब्त नहीं किए गए थे। पीडब्लू-6, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-17 के साक्ष्य केवल यह स्थापित करते हैं कि ए 1 ने लॉरी नं. टीएसएल 6579 घटना से लगभग 7/8 दिन पहले ए 5 और ए 6 की सहायता से दलालों पीडब्लू-6 और पीडब्लू-7 के माध्यम से। घटना से लगभग चार दिन पहले, लॉरी बशीरा बेगम वी।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

कराईकुड्डी नेशनल बैटरी कंपनी में लाया गया था

इसकी बैटरी को चार्ज करना। चूँकि बैटरी को बदलने की आवश्यकता थी, लेकिन एक नई बैटरी स्टॉक में नहीं थी, इसलिए लॉरी में एक सर्विस्ड बैटरी लगाई गई थी, जिसे कभी वापस नहीं किया गया। उल्लेखनीय रूप से, पीडब्लू-6 के साक्ष्य से पता चलता है कि ए 1 ने कथित अपराध से बहुत पहले

21.6.1990 पर मलार लॉज होटल में साजिश ने पंजीकरण संख्या TDB 9635 के साथ एक लॉरी खरीदी जिसके लिए A5 खड़ा था गारंटर। यह लॉरी कथित साजिश की तारीख के लगभग चार महीने बाद अक्टूबर, 1990 में कुछ समय के लिए बेची गई थी, और दो महीने से भी कम समय में, दिसंबर, 1990 को या उसके आसपास लॉरी खरीदी गई थी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि अल इस्तेमाल करता था

एक लॉरी रखें, या कम से कम जनवरी 1990 से एक छोटी सी छुट्टी के साथ, संभवतः अपने व्यवसाय के उद्देश्य से। लॉरी की खरीद के लिए दुष्ट को जिम्मेदार ठहराना बेतुका होगा। डी2 की हत्या का उद्देश्य। अभियोजन पक्ष ने यह समझाने का कोई प्रयास नहीं किया है कि ए 1 को अपने पास पहले से मौजूद लॉरी को क्यों बेचना चाहिए था, अगर डी2 को मारकर या दौड़ाकर मारने की साजिश थी

एक लॉरी के साथ। [अनुच्छेद 142,149-154] [608-F-G; 609-H; 610-A H; 611-A-D]

1.2 उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ

पीडब्लू-8, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15, पीडब्लू-16 और पीडब्लू-17 के साक्ष्य से पता चलता है कि लॉरी को मन्नापराई में अरोक्यम की कार्यशाला में लाया गया था।

मामूली मरम्मत के लिए 29.12.1990 पर। मरम्मत के बाद पीडब्लू 6 ने उसी की डिलीवरी ली और उसे पास के एक लॉरी शेड में छोड़ दिया। ए 7 का कार्यालय, जिसने ए 6 के माध्यम से ए 1 को लॉरी बेच दी थी। पीडब्लू-14, कार्यशाला के मालिक ने पदच्युत किया कि पीडब्लू-6 ने उसे निर्देश दिया था

एक छोटे से डेंट की मरम्मत करें। पीडब्लू-6 या पीडब्लू-7 के साक्ष्य में लॉरी को डी2 और डी1 की मौत से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। संयोग से, पीडब्लू-6 ने कहा कि उसने 20.12.1991 के बाद ए 1 नहीं देखा था, जिसके बाद उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और उससे जिरह की गई। पीडब्लू-6 ने कहा कि पुलिस ने लॉरी को जब्त कर लिया है। यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए कि लॉरी टीएसएल 6579 को मामूली डेंट और एक टूटी हुई साइड लाइट या लैंप के साथ मरम्मत के लिए कार्यशाला में लाया गया था और घटना स्थल पर कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों का रंग साइड लाइट के रंग से मेल खाता था और या

लॉरी के संकेतक, जो उसी घटना में लॉरी की संलिप्तता साबित नहीं करते हैं। कई गाड़ियों में एक ही तरह के लैंप/इंडिकेटर कवर होते हैं। इसके अलावा लॉरी को दूसरा [2020] 3 एस. सी. आर. खरीदा गया था।

हाथ और ए 1 को डिलीवरी के समय लॉरी की स्थिति का कोई सबूत नहीं है। [पारस 155,163] [611-ई-जी; 614-बी]

1.3 . किसी भी मामले में, यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए कि लॉरी नं। टी. एस. एल. 6579 वह लॉरी थी, जिसने गाड़ी को नीचे गिरा दिया।

मोटरसाइकिल जिस पर मृतक सवार थे, और उसके ऊपर से भाग गए

मृतक, जो अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। ए 1, ए 2 या ए 7 के लॉरी में होने के बारे में कुछ भी सबूत नहीं है, सिवाय ए 7 के कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के।

पुलिस की उपस्थिति में, जिसे चर्चा किए गए कारणों के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि ए 1 लॉरी चला रहा होगा, यह भी स्थापित नहीं करता है कि उसने हत्या की थी। हत्या के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने ए 3 और डी2 के बीच शत्रुता और ए 1 और ए 3 और डी2 के बीच विवादों का मामला बनाने की कोशिश की है। ए 3 को संभावित संदिग्ध घोषित किया गया था।

एफ. आई. आर. में डी2 और ए-3 के बीच दुश्मनी हो सकती है, लेकिन घटना स्थल पर ए-3 नहीं था। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि ए 3 ने हत्या की है। डी2 और डी1 की हत्या में उसकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। किसी भी मामले में, उसका डी1 को मारने का कोई मकसद नहीं हो सकता था।

इसके अलावा, पीडब्लू-1 के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि ए 3 के साथ विवादों से जिले के हस्तक्षेप से समझौता किया गया था कलेक्टर। उनके अपने भाई ए 1 और डी2 के बीच विवादों के आरोप पूरी तरह से अस्पष्ट हैं और किसी भी विवरण से रहित हैं। ए 1 और डी2 के बीच कलह के किसी भी विशिष्ट कारण का कोई सबूत नहीं है, न कि उस तरह के विवाद के सबूत की बात करने के लिए जो हत्या का कारण बन सकता है। [पारस 165-167] [614-E-H; 615-A]

डी2 ने संपत्ति के मामलों पर अपने पिता के साथ झगड़ा नहीं करने का वादा किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने इस तरह के वादे का उल्लंघन किया है। संपत्ति परिवार के सदस्यों के बीच विवाद असामान्य नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। हो सकता है कि वे बात करने की शर्तों पर न हों। हालाँकि, अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रचने के लिए एक पिता के उद्देश्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए, अधिक सम्मोहक कारण होने चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा बनाया गया मामला अटकलबाजी वाला बशीरा बेगम बनाम है।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

कराईकुडी में 21.6.90 पर, पेटेंट में विसंगतियां हैं इस संबंध में पीडब्लू-44 का साक्ष्य। अगर ए 3 साजिश के समय मलार लॉज होटल, कराईकुडी में मौजूद था

21.6.1990 , पीडब्लू-10 या पीडब्लू-39 के लिए ए 3 के घर जाने और उसे साजिश के बारे में बताने का कोई कारण नहीं हो सकता है। न ही ए 3 पीडब्लू-10 और पीडब्लू-39 को सलाह देगा कि वे दूसरों को साजिश का खुलासा न करें। अन्यथा भी, यह अकल्पनीय है कि अभियुक्त को उन गवाहों की उपस्थिति में हत्या करने की साजिश रची जानी चाहिए जो साजिश का हिस्सा नहीं थे। यह समझना भी मुश्किल है कि पीडब्लू-10 और पीडब्लू-39 को कभी भी सह-अभियुक्त के रूप में क्यों नहीं रखा गया, अगर वे थे

44 पी. डब्ल्यू.-10 और पी. डब्ल्यू.-39 नामक दो गवाहों ने उन्हें जांच के दौरान जो बताया, वह सबूत में अस्वीकार्य है। और कोई मूल्य नहीं। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-10 और पीडब्लू-39 दोनों ने पुलिस को दिए गए बयानों से स्पष्ट रूप से इनकार किया है।

उन्हें। [अनुच्छेद 175,182-185] [616-A-B; 617-C-F]

1.6 पीडब्लू-40, जिन्होंने 1989 से 1991 तक मलार लॉज होटल, कराईकुडी में प्रबंधक के रूप में काम किया था, ने ए 8 या ए 2 को जानने से इनकार किया। वह.

पुलिस के सामने बयान देने से इनकार किया, जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया। अपीलकर्ताओं ने यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने [2020] 3 एस. सी. आर. में भाग लिया था, एक हस्तलेखन विशेषज्ञ, पीडब्लू-34 के साक्ष्य पर भरोसा किया है।

घटना और उस तारीख के बीच छह महीने से अधिक का अंतराल जिस दिन मलार लॉज में कथित बैठक हुई थी। एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है, जब तक कि सभी उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि के लिए, उन परिस्थितियों को पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए जिनसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है। परिस्थितियाँ निर्णायक होनी चाहिए। स्थापित परिस्थितियाँ होनी चाहिए निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हैं, और किसी अन्य परिकल्पना पर समझाया नहीं जा सकता है। परिस्थितियों को किसी भी को बाहर करना चाहिए

साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर अन्य संभावित परिकल्पना। [पारस 186-189] [617-जी-एच; 618-ए, सी-जी]

शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम। महाराष्ट्र राज्य (1973) 2 एससीसी 793: [1974] 1 एससीआर 489-पर भरोसा किया गया।

1.7 संदेह कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे सबूत का स्थान नहीं ले सकता है। संपत्ति संबंधी विवादों के परिणामस्वरूप शत्रुता संदेह को जन्म दे सकती है। हालाँकि, दोषसिद्धि कभी भी संदेह पर आधारित नहीं हो सकती है जब तक कि अभियोजन पक्ष स्पष्ट रूप से साबित न हो जाए।

निर्णायक रूप से परिस्थितियाँ और सभी परिस्थितियाँ साबित होनी चाहिए केवल अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है। अभियुक्त के अपराध के निष्कर्ष के अलावा किसी अन्य निष्कर्ष की संभावना दोषसिद्धि को दूषित कर देगी। किसी अभियुक्त को सभी उचित संदेह से परे दोषी साबित करने का भार अभियोजन पक्ष पर है। यदि इसका विश्लेषण किया जाए

साक्ष्य दो दृष्टिकोण संभव हैं, एक जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा जो अभियुक्त के अपराध के साथ असंगत है, बाद वाले को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किसी निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश को उलटने और अभियुक्त को बरी करने में सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के उलटने/बरी करने को विकृति से दूषित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय बशीरा बेगम बनाम को उलट सकता है।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

बरी करने का आदेश यदि न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ठीक से नहीं है

जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य हो वहाँ यह साबित नहीं किया जा सकता है। इस मामले में अपराध का कोई सीधा सबूत नहीं है। [पारस 192-193] [619-E-G; 620-A-B] 1.8 इससे पहले कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पूरी तरह से स्थापित कहा जा सके, परिस्थितियों से

जिसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उसे पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप किसी भी निष्कर्ष के लिए कोई उचित संदेह न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा। अभियोजन पक्ष अभियुक्त व्यक्तियों के अपराध को उचित संदेह से परे स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा। इस बात की प्रबल संभावना है कि जिस मोटरसाइकिल पर मृतक सवार थे, वह किसी अज्ञात वाहन से टकरा गई होगी, जिससे मृतक की मौत हो गई होगी। मृत्यु दुर्घटनावश हुई होगी। उच्च न्यायालय ने उचित रूप से निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और अभियुक्त को बरी कर दिया गया। [पारस

195 , 197] [620 - ई; 621-सी]

प्रफुल्ल सुधाकर परब बनाम। महाराष्ट्र राज्य (2016)

12 एससीसी 783-प्रतिष्ठित।

सतीश निरंकारी बनाम। राजस्थान राज्य (2017) 8 एस. सी. सी. 497 [2017] 4 एस. सी. आर. 298; साधु सरन सिंह बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य (2016) 4 एस. सी. सी. 357: [2016] 1 एससीआर 913; शांति देवी बनाम। राजस्थान राज्य (2012) 12 एससीसी 158: [2012]

9 एस. सी. आर. 226-निर्भर।

राजस्थान राज्य बनाम। इस्लाम और ओआरएस। (2011) 6 एससीसी 343: [2011] 6 एससीआर 988; विजय शंकर बनाम। हरियाणा राज्य (2015) 12 एस. सी. सी. 644 [2015] 9 एस. सी. आर. 977; मुरारी लाल बनाम। मध्य प्रदेश राज्य (1980) 1 एससीसी 704: [1980] 2

एस. सी. आर. 249; शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम। की स्थिति

महाराष्ट्र (1984) 4 एस. सी. सी 116 [1985] 1 एस. सी. आर 88; [2020] 3 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बबलू वी. राजस्थान राज्य (2006) 13 एससीसी 116: [2006]

10 पूरक। एस. सी. आर. 835-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[2011] 6 एससीआर 988

संदर्भित किया गया है

पैरा 21

[2015] 9 एससीआर 977

संदर्भित किया गया है

पैरा 29

(2016) 12 एस. सी. सी. 783

पैरा 29

प्रतिष्ठित

[2017] 4 एससीआर 298

उस पर भरोसा करें

पैरा 29

[1980] 2 एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पैरा 187

[1974] 1 एससीआर 489

उस पर भरोसा करें

पैरा 189

[1985] 1 एससीआर 88

संदर्भित किया गया है

पैरा

190

[2006] 10 पूरक। एस. सी. आर. 835 को संदर्भित किया गया

पैरा

190

[2016] 1 एससीआर 913

उस पर भरोसा करें

पैरा

194

[2012] 9 एससीआर 226

उस पर भरोसा करें

पैरा

196

आपराधिक अपील न्यायनिर्णयः आपराधिक अपील सं।

417 2010 से।

मदुरै के 22.11.2006 दिनांकित निर्णय और आदेश से

आपराधिक अपील सं. में मद्रास उच्च न्यायालय की पीठ। 834 , 835 , 836 , 895 , 926 , 934 और 1998 का 938।

के साथ

आपराधिक अपील सं। 416 और 2010 का 408-414।

केटीएस तुलसी, आर. बालासुब्रमण्यम, आर. बसंत, राजीव दत्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता। ,

सिद्धांत शर्मा, बी. रघुनाथ, इभ्राम अली, विजय कुमार, पी. आर. कोविलन, श्रीमती गीता कोविलन, सुश्री जुबली मोमालिया, एम. योगेश कन्ना, एस. पार्थ सारथी, राजा राजेश वारन एस., कुमार दुष्यंत सिंह, मुकुल लाठेर, अरुण अधलखा, धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, बी. करुणाकरन, मुकेश वर्मा, पंकज कुमार सिंह, पवन कुमार शुक्ला, यश पाल ढिंडा, के. के. मणि, सुश्री टी. अर्चना, दुष्यंत कुमार सिंह, कनिप्पैया मेयप्पन, सुश्री कनिका कलैयारसन, सुश्री यमुना नचियार, एस. रविशंकर, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

इंदिरा बनर्जी, जे.

2. आपराधिक अपील 2010 की आई. डी. 1 और 416 क्रमशः डी. 2 की पत्नी बशीरा बेगम द्वारा दायर की गई है, जिन्होंने मुकदमे में तीसरे अभियोजन गवाह (पी. डब्ल्यू.-3) के रूप में गवाही दी और डी. 1 के चाचा साहुल हमीदु, जो शिकायतकर्ता हैं, जिन्होंने पहले अभियोजन गवाह के रूप में गवाही दी। (पीडब्लू-1)। आपराधिक अपील सं। 408-414 राज्य ने आठ अभियुक्तों को बरी किए जाने के फैसले को चुनौती देते हुए 2010 के प्रावधानों को प्राथमिकता दी है।

3. पहला अभियुक्त जाफर अली (ए 1) और डी2 चौथे अभियुक्त मोहम्मद इब्राहिम (ए 4) के भाई और बेटे हैं। तीसरा अभियुक्त, अब्दुल हमीदु (ए 3) ए 4 का छोटा भाई और डी-2 और ए-1 का चाचा है। पाँचवाँ अभियुक्त शेख दाऊद (ए 5) और छठा अभियुक्त बशीर अली (ए 6) ए 1, ए 3, ए 4 और डी2 के रिश्तेदार हैं। ए 3 और ए 6 की पत्नियाँ बहनें हैं। दूसरा अभियुक्त बालू उर्फ बालुसामी (ए 2) और 7 वां अभियुक्त, कृष्णन (ए 7), दोनों कराईकुडी के निवासी, कथित तौर पर 8 वें अभियुक्त, कराईकुडी के पास उन्नजाई गाँव के रामासामी अंबलम (ए 8) के सहयोगी हैं, जो ए 3 का दोस्त है। तब से ए 4, ए 5 और ए 7 मर चुके हैं। ए 7 की मृत्यु तब हुई थी जब उच्च न्यायालय में उनकी अपील लंबित थी। इस न्यायालय में ए 4 और ए 5 को बरी किए जाने के खिलाफ अपीलें समाप्त हो गई हैं।

4. अभियोजन पक्ष का मामला है कि ए 4 का बेटा डी2 और ए 3 का भतीजा डी1 दोस्त थे। सुल्तान उर्फ सुलेमान रोथर, के भाई

ए 3 और ए 4 और डी2 के चाचा, जो मलेशिया में रहते थे, के पास संपत्ति थी। भारत, जिसका प्रबंधन ए 3 द्वारा किया जा रहा था। ए 3 और डी2 के बीच शत्रुता तब पैदा हुई जब उक्त सुलेमान ने ए 3 से अपनी संपत्तियों को वापस ले लिया और डी2 को इसका प्रबंधन सौंपा। सुलेमान की बेटी फातिमा बीवी,

एक अनिवासी भारतीय (एन. आर. आई.) ने भी डी2 को भारत में अपनी संपत्तियों का जिम्मा सौंपा था, जिसके परिणामस्वरूप ए3 और ए2 के बीच खराब संबंध था। ए4 द्वारा धारित और/या नियंत्रित पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन की डी2 की मांग ने डी2 और उसके पिता (ए4) और उसके भाई (ए1) के बीच संपत्ति विवादों को जन्म दिया। डी2 अपने द्वारा धारित और/या प्रबंधित संपत्तियों के संबंध में मुकदमेबाजी में उलझा हुआ था।

5. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, अभियुक्त ने एक मामला दर्ज किया था

कराईकुडी के मलार लॉज होटल के कमरे में 21.6.1990 पर, जहाँ उन्होंने डी2 को मारने की साजिश रची। इस तरह की साजिश के अनुसरण में अल ने पंजीकरण संख्या वाला एक लॉरी खरीदा। टीएसएल 6579 पर या उसके आसपास

समझौता। 6. अभियोजन पक्ष के अनुसार, डी2 और उसका दोस्त डी1, दोनों अरसरकुलम के निवासी, रात करीब 8:30 बजे अरंथंगी के लिए रवाना हुए।

28.12.1990 , मोटर साइकिल No.TN/1406 द्वारा, A4 के स्वामित्व में, D2 द्वारा नियुक्त एक वकील से मिलने के लिए। डी2 मोटर साइकिल चला रहा था और डी1 पिलियन पर था। रात में लगभग 1 बजे, दो व्यक्ति, कन्नन और नागूर गनी (पीडब्लू2) जो आखिरी बस से अरसरकुलम आए थे, ने शिकायतकर्ता (पीडब्लू1), डी1 के चाचा को सूचित किया कि डी2 और डी1 लेवल क्रॉसिंग से दो या तीन फरलोंग दूर खून से लथपथ पड़े थे।

सरयानन्थल, पप्पाकुलम और एक मोटर साइकिल पास में पड़ी थी।

7. सूचना मिलने पर पीडब्लू-1 अपने पड़ोसी मोहम्मधु मीरा के साथ तुरंत घटना स्थल पर गया और

इसके बाद दोपहर करीब 2 बजे वह अरंथंगी पुलिस स्टेशन गया और शिकायत दर्ज कराई।

8. शिकायत में, पीडब्लू-1 ने कहा कि उन्हें संदेह है कि मृतक की हत्या पेरूमल, कुझंथैयन और अन्य लोगों ने की होगी।

कुमार, ए3 के उकसावे पर, क्योंकि उनके निवास स्थान से ए3 को बेदखल करने को लेकर डी2 और ए3 के बीच दुश्मनी थी। ए1, डी2 और ए4 के भाई, डी2 के पिता को भी शिकायत में आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया था। न ही किसी अन्य आरोपी का नाम लिया गया था।

668 1990 का अधिनियम अन्य बातों के साथ-साथ आई. पी. सी. की धारा 120बी और धारा 302 के तहत शुरू किया गया था। इंस्पेक्टर 29 तारीख को घटना स्थल पर पहुंचे। दिसंबर, 1990 सूर्योदय के बाद। मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

आशेरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

10. थांगी के सरकारी अस्पताल से जुड़े डॉक्टर पीडब्लू-22 ने डी2 के शव का पोस्टमॉर्टम किया। उस पर

उत्तर में, डी2 पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं:

" बाहरी चोटें:

1. ऊपरी होंठ और दाहिने मैक्सिला पर संदूषण चोट।

2. ऊपरी और निचले जबड़े में दांत विस्थापित हो जाते हैं।

5. छाती पर 3 सेमी व्यास का अनियमित क्षैतिज घर्षण। 6. लाल काला, आंशिक रूप से आयताकार 3 सेमी x 2 सेमी बाधित

प्रभाव, दाहिने हाइपोकॉन्ड्रियम क्रॉसिंग से निरंतर

बाएँ हाइपोकॉन्ड्रियम में स्टर्नम समाप्ति। इसी तरह

पेट के निचले हिस्से पर प्रभाव कम हो रहा है

नाभि। दो किनारों के बीच की दूरी 27 सेंटीमीटर है।

7. सामने की स्थिति के बीच में उपरोक्त छापें मौजूद हैं

दाहिनी भुजा।

8. बाएं अग्र-भुजा के क्यूबिटल क्षेत्र 4 सेमी x 4 सेमी x 1 सेमी पर अण्डाकार आकार की घाव की चोट। जब दोनों ऊपरी अंग शरीर की चोट संख्या 6 के करीब होते हैं, तो 7 और 8 निरंतर होते हैं और कतार में होते हैं।

9. नीले रंग की चोट-दाहिनी ओर 5 सेमी व्यास

क्षेत्रीय पूछताछ।

10. दाहिने घुटने के ठीक ऊपर अनियमित घर्षण। 11. दाहिने स्कैपुला के नीचे 4 सेमी व्यास का अनियमित घर्षण।

अंदरूनी चोट: दोनों तरफ अनिवार्य नासिका हड्डियों का टूटना।

पसलियाँ 3 से 7 तटीय क्षेत्र दोनों तरफ सममित है जो फेफड़ों, उरोस्थि के शरीर, फेफड़ों की शल्य चिकित्सा के लिए हड्डी के सिरों को चलाता है

चीर दिया गया।

पेट में 200 मिलीलीटर पचने वाले चावल के कण होते हैं।

यकृत की पीछे की सतह टूट जाती है और टुकड़े-टुकड़े हो जाती है।

अन्य आंतों के अंग और खोपड़ी की हड्डियाँ सामान्य हैंः स्क्रोटमः इसमें आंतों का एक लूप था।
"[2020] 3 एस. सी. आर.

11. 23 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू-23) ने पोस्टमॉर्टम I किया और निम्नलिखित चोटें पायाः

" बाहरी चोटेंः

1. दाहिनी आँख की भौंह पर क्षैतिज रूप से एक पूर्व-शव परीक्षण घाव, आकार 3 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी एक परीक्षा रक्त

मौजूद घाव के नीचे थक्के। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ है।

2. दाहिने कंधे के आकार 6 से. मी. * 1 से. मी. * 1 से. मी. के पूर्ववर्ती पहलू पर प्रकृति में अर्ध गोलाकार एक पूर्व-शव परीक्षण चोट।

हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ है।

3. दाहिनी भुजा पर एक पूर्व-शव परीक्षण घाव

प्रकृति में पूर्ववर्ती क्षैतिज रूप से कंधे के जोड़ से 5 सेमी नीचे

आकार 3 सेमी * 1 सेमी * 1/2 सेमी। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ है।

4. दाहिनी कोहनी पर एक पूर्व-शव परीक्षण घाव

प्रकृति के आकार में पीछे क्षैतिज रूप से 2 1/2 cmx1cmx 1/2 सेमी।

5. एंटे मॉर्टेम घर्षण रैखिक, बीच-बीच में बाधित प्रकृति। दाहिनी छाती से दाहिनी ओर आदर्श फोसा आकार 25 सेमी x 5 सेमी तक फैलाना। जाँच पर त्वचा के नीचे रक्त का अतिरिक्त विस्तार होता है। उपस्थित हैं। चौथी और पांचवीं पसली का फ्रैक्चर

पूर्ववर्ती कोण मौजूद है।

6. बाईं कलाई के जोड़ के ऊपर क्षैतिज रूप से चोट लगी है जिसका आकार 2 सेमी x 1/2 सेमी x 1/2 सेमी है। हड्डी में फ्रैक्चर नहीं हुआ है।

7. दाहिने घुटने के जोड़ के विपरीत आकार 3 सेमी x 2 सेमी x 1/2 सेमी क्षैतिज प्रकृति में एक पूर्व-शव परीक्षण घाव।

हड्डी का कोई तथ्य नहीं।

8. एंटीमॉर्टम घर्षण 4 सेमी संख्या में प्रत्येक 3 सेमी x 2 सेमी

दाहिने पैर के ऊपर से।

9. दाहिने अस्थायी क्षेत्र के आकार 7 से. मी. x 9 से. मी. के ऊपर दाहिनी ओर खोपड़ी पर एंटीमॉर्टम संदूषण नीथ के नीचे खोपड़ी मौजूद है। फ्रैक्चर राइट टेम्पोरल बोन, स्क्वीमोरिस पार्ट मौजूद, मेनिंग्स इंजरी सबड्यूरल हेमेटोन

इंट्रासेरेब्रल रक्तस्राव में मौजूद।

10.टूटा हुआ) नासिका में मौजूद अवसादित थक्कों को पाटता है। नहीं।

फ्रैक्चर। नाक की हड्डी का शरीर विघटित नहीं हुआ है। जनरल

उपस्थिति पुलिस रिपोर्ट से मेल नहीं खाती है। ऐसा प्रतीत होता है कि मृत्यु पोस्टमार्टम से लगभग 16 से 20 घंटे पहले हुई थी।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लिंग का खतना किया गया, आँखों के ढक्कन बंद कर दिए गए, जबड़े कस लिए गए। भाषा।

मुँह के अंदर। अंदरूनी चोटः

पेट में हल्का खिंचाव मौजूद है। स्थिति अंग सामान्य,

पीला, यकृत को कोई चोट नहीं प्लीहा, गुर्दे में कोई तरल पदार्थ या रक्त नहीं

पेरिटोनियल गुहा। पेट में आंशिक रूप से 30 मिली होता है।

पचने वाला भोजन। कोई विशिष्ट गंध नहीं। वक्ष-अंगों की स्थिति सामान्य पीला फ्रैक्चर या दाहिनी ओर चौथी और पाँचवीं पसलियाँ मौजूद होती हैं। दिल खाली, फेफड़ों में कोई चोट नहीं, कोई चोट नहीं। श्वासनली, स्वरयंत्र, ह्यॉइड हड्डी में कोई बाहरी निकाय नहीं टूटा है। दाएँ अस्थायी हड्डी झिल्ली संयुग्मित के श्रोणि में कोई फ्रैक्चर खोपड़ी फ्रैक्चर नहीं सबड्यूरल हेमेटोमा, इंट्रा सेरेब्रल ब्लीडिंग मौजूद। मस्तिष्क ठोस Wt.1200 ग्राम मृत रक्त रसायन के लिए संरक्षित

विश्लेषण "।

12. जाँच अधिकारी, पीडब्लू-43 ने जाँच शुरू की और गवाहों से पूछताछ की। पुलिस ने टूटे हुए कांच के टुकड़े, प्लास्टिक जब्त किए

13. जाँच पूरा होने के बाद, अपराध जाँच शाखा, पुदुकोट्टई के निरीक्षक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरंथंगी के समक्ष आरोप पत्र दायर किया। आरोप-पत्र में यह आरोप लगाया गया था कि 28 दिसंबर 1990 को ए 1 ने उस मोटर साइकिल को टक्कर मार दी थी जिस पर मृतक सवार थे और उनके लॉरी पर पंजीकरण संख्या थी। टी. एस. एल. 6579, सेरायनेन्थल, पाप्पाकुलम के पास। ए 2 और ए 7 ने लॉरी से उतरकर मृतक पर, जो अपनी मोटर साइकिल से गिर गया था, लोहे की छड़ से हमला किया था और 21 जून, 1990 की रात को मलार लॉज होटल, कराईकुडी में ए 1 से ए 8 के बीच ए 3, ए 4 और ए 1 की एक मृतक, यानी डी2 के साथ दुश्मनी के कारण रची गई साजिश के अनुसरण में उनकी मौत का कारण बने थे। 14. अभियुक्त ने 'दोषी नहीं' होने का अनुरोध किया, जिसके बाद मुकदमा शुरू हुआ। सभी अभियुक्त उत्तरदाताओं पर आई. पी. सी. [2020] 3 एस. सी. आर. की धारा 120 बी के तहत मुकदमा चलाया गया।

आई. पी. सी., डी2 और डी1 की हत्या का। 15. अभियोजन पक्ष ने 45 गवाहों से पूछताछ की। अभियुक्त ने बचाव पक्ष के किसी भी गवाह से पूछताछ नहीं की। नौ अभियोजन गवाहों (पीडब्लू) अर्थात् पीडब्लू-6, पीडब्लू-9, पीडब्लू-10, पीडब्लू-11, पीडब्लू-12, पीडब्लू-13, पीडब्लू-39, पीडब्लू-40 और पीडब्लू-42 को लोक अभियोजक द्वारा शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और उन्हें क्रॉस किया गया था।

राज्य की ओर से जाँच की गई, क्योंकि उन्होंने जाँच के दौरान पुलिस के सामने दिए गए अपने बयानों से कथित रूप से पीछे हट गए थे।

16. 6 अक्टूबर, 1998 के एक फैसले और आदेश द्वारा, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुडुकोट्टई ने धारा 120 बी के तहत सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराया।

आई. पी. सी. और आई. पी. सी. की धारा 34 के साथ पठित धारा ए 1, ए 2 और ए 7 को दोषी ठहराया। ए 1, ए 2 और ए 7 को आजीवन कारावास और प्रत्येक पर Rs.20,000/- के जुर्माने की सजा सुनाई गई।

17. 6 अक्टूबर के फैसले और आदेश से व्यथित होकर,

1998 1996 के एससी No.108 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, पुडुकोट्टई के सभी अभियुक्तों ने उच्च न्यायालय में आपराधिक अपील दायर की, जिन्हें 1998 की आपराधिक अपील Nos.834,835,836,895,926,934 और 938 के रूप में गिना गया था।

18. अपील के तहत निर्णय और आदेश द्वारा, माननीय उच्च न्यायालय

न्यायालय ने आपराधिक अपीलों को अनुमति दी, 1996 के एस. सी. सं. 108 में अभियुक्तों को दोषी ठहराने के विचारण न्यायालय के 6 अक्टूबर, 1998 के निर्णय और आदेश को दरकिनार कर दिया और अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी कर दिया। चूंकि उच्च न्यायालय में कार्यवाही लंबित रहने के दौरान ए 7 की मृत्यु हो गई थी, इसलिए ए 7 द्वारा भुगतान की गई जुर्माना राशि, यदि कोई हो, उसके कानूनी उत्तराधिकारियों को वापस करने का निर्देश दिया गया था। 19. उच्च न्यायालय ने अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने पर पाया कि पूरे अभियोजन मामले को नुकसान हुआ है।

गंभीर दुर्बलताएँ, विसंगतियाँ और अंतर्निहित असंभवताएँ। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों में कई लापता संबंध थे और अभियोजन पक्ष निर्णायक रूप से यह स्थापित करके परिस्थितियों की श्रृंखला को पूरा करने में बुरी तरह विफल रहा था कि प्रत्येक परिस्थिति निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करती है। होने के नाते

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश से व्यथित, अभियुक्त की दोषसिद्धि को उलटते हुए और उन सभी को बरी करते हुए, राज्य और शिकायतकर्ता भी अपील में हैं।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

20. 2010 की आपराधिक अपील No.417 में अपीलार्थी की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री के. टी. एस. तुलसी ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले और दोषसिद्धि के आदेश को दरकिनार करने और अभियुक्तों को उनके खिलाफ लगाए गए सभी आरोपों से बरी करने में कानून के साथ-साथ तथ्यों में भी स्पष्ट रूप से गलती की।

21. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है, जैसा कि श्री तुलसी ने तर्क दिया है कि भले ही सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत विवेकाधीन अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करता है।

संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार, इस तरह के विवेकाधिकार का प्रयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाना चाहिए कि न्याय की विफलता न हो। यदि उच्च न्यायालय का निर्णय गलत और विकृत है, तो कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जो सर्वोच्च न्यायालय को बरी करने के आदेश के खिलाफ अनुच्छेद 136 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने से रोकता है, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा राजस्थान राज्य बनाम इस्लाम और Ors.[1] में कहा गया है। जब बरी नहीं किया जा सकता है हालाँकि, अभिलेख पर साक्ष्य को देखते हुए, यह न्यायालय बरी किए जाने के फैसले को दरकिनार करने के लिए कर्तव्यबद्ध है। सवाल यह है कि क्या इस मामले में बरी किए जाने को दरकिनार किया जा सकता है।

22. श्री तुलसी ने तर्क दिया कि संपत्ति विवादों के सबूत हैं

डी2 और ए 3 के बीच और डी2 और ए 4 के बीच संपत्ति विवादों का भी। इस संबंध में पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई थी। हालांकि, ए.

जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप पर समझौता किया गया।

30.4.1990 पर, A4 ने D2 के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की थी जिससे सिविल कोर्ट में समझौता किया गया था।

23. इस बात के सबूत थे कि 21.6.1990 पर आरोपी ने मलार लॉज होटल, कराईकुडी में एक कमरा बुक किया और उसके साथ डी2 को मारने की साजिश रची।

24. श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया कि 28.12.1990 पर, D2 और D1 अरंथंगी के लिए रवाना हुए। लगभग 1 बजे शिकायतकर्ता को मृतक की मृत्यु की सूचना दी गई। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार मृतक की मौत खोपड़ी, मस्तिष्क और कई चोटों के कारण सदमे और रक्तस्राव से हुई। 25. श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया कि जहां प्रत्येक अभियुक्त व्यक्ति को विशिष्ट भूमिकाओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था, उन्हें परिस्थितियों की एक श्रृंखला से जोड़ा गया था

अपराध पूरा हो गया था। उच्च न्यायालय को निचली अदालत के फैसले को उलटना नहीं चाहिए था। उच्च न्यायालय ने इस तथ्य की अनदेखी की कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के अधिकांश मामलों में, प्रत्यक्ष साक्ष्य

1 2011 (6) एस. सी. सी. 343 [2020] 3 एस. सी. आर.

साजिश कभी भी उपलब्ध नहीं होती है और साजिश के अस्तित्व का अनुमान अपराध की परिस्थितियों से लगाया जाना चाहिए।

26. श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया कि अभियुक्त को अपराध से जोड़ने वाली परिस्थितियों की पूरी श्रृंखला के अलावा, विशेषज्ञ की राय थी

भी उपलब्ध है। पीडब्लू-22 से पीडब्लू-27 के बयानों से अभियुक्त के अपराध का अप्रतिरोध्य निष्कर्ष निकला। श्री तुलसी ने कहा कि उच्च न्यायालय ने इस तथ्य को नजरअंदाज कर दिया कि अकेले अभियुक्त व्यक्तियों के पास अपराध करने का उद्देश्य और अवसर था जैसा कि पीडब्लू-1, पीडब्लू-3 और पीडब्लू-29 की गवाही से स्थापित होता है।

27. श्री तुलसी ने प्रस्तुत किया कि पीडब्लू 8,16,21,23 और

24 यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया कि डी1 और डी2 को अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा मार दिया गया था। दुर्घटना के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु नहीं हुई। पीडब्लू-8 ने अपदस्थ किया कि अरोक्यम में उनकी कार्यशाला में लॉरी की मरम्मत की गई थी। 28/29.12.1990 की दरम्यानी रात को लॉरी को मरम्मत के लिए पीडब्लू-7 की कार्यशाला में लाया गया। इसकी बाईं निचली रोशनी टूट गई थी। 3.1.1991 PW-16 पर तीन बेचे गए थे रसीद के खिलाफ विचाराधीन लॉरी के लिए बल्ब और उसी दिन पीडब्लू 15 ने एक भारी मोटर वाहन की फ्रंट साइड लाइट बेची थी।

28. श्री तुलसी ने आगे कहा कि पीडब्लू-21 के साक्ष्य हैं जिन्होंने यह बयान दिया कि ए 7 से 13.2.1991 पर लोहे की छड़ बरामद की गई थी

उसकी उपस्थिति। पीडब्लू-24 के बयान के आधार पर, निचली अदालत सही निष्कर्ष पर पहुंची कि डी2 की मौत टक्कर के कारण नहीं हुई थी, बल्कि उसकी हत्या कर दी गई थी। यहां तक कि पीडब्लू-23 ने भी कहा कि डी1 और डी2 की हत्या रॉड (एमओ-23) से की गई थी। राज्य की ओर से पेश वकील ने श्री तुलसी का समर्थन किया।

29. इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि साजिश का प्रत्यक्ष सबूत लगभग कभी उपलब्ध नहीं होता है और साजिश का अस्तित्व आवश्यक है।

अपराध की परिस्थितियों से अनुमान लगाया जाना चाहिए, जैसा कि इस न्यायालय द्वारा विजय शंकर बनाम हरियाणा राज्य 2, प्रफुल्ल सुधाकर परब बनाम हरियाणा राज्य 2 में अभिनिर्धारित किया गया है।

महाराष्ट्र राज्य 3 और सतीश निरंकारी बनाम राजस्थान राज्य श्री तुलसी द्वारा उद्धृत। हालाँकि, यह संदेहपूर्ण है कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करते हुए, क्या इस मामले की परिस्थितियों से साजिश के अस्तित्व का अनुमान लगाया जा सकता है।

30. अभियोजन पक्ष के पहले गवाह एम. साहुल हमीद (पीडब्लू-1)

3 3 2016 (12) एससीसी 783 4 2017 (8) एस. सी. सी. 497 बशीरा बेगम बनाम।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

डी1 के पिता मोहम्मद मीरासा मलेशिया में थे। डी1 अपनी माँ आयशा @Aiyeesammal के साथ अरूरकुलम में रह रहा था। पीडब्लू-1 ने पदच्युत किया कि डी2 उसकी बहन के बेटे डी1 का मित्र था। डी2 का विवाह पीडब्लू-3, बशीरा बेगम से हुआ था।

31. संक्षेप में, पीडब्लू-1 ने कहा कि वह सभी अभियुक्त व्यक्तियों को जानता था।

मलेशिया में रहने वाले ए4 (डी2 के पिता), ए3 और सुल्तान सुलेमान रोथर भाई थे। ए3 सुलेमान की संपत्तियों का प्रबंधन कर रहा था।

भारत। हालाँकि ए3 और डी2 के बीच विवाद उत्पन्न हो गए जब सुलेमान ने ए3 से अपनी संपत्तियों को वापस ले लिया और डी2 को इसका प्रबंधन सौंपा। सुलेमान की बेटी फातिमा बीवी के नाम की संपत्ति भी प्रबंधन के लिए ए3 को सौंपी गई थी।

32. पीडब्लू-1 ने कहा है कि 10 से 12 पट्टा धारक थे, और नाम पर खरीदी गई भूमि पर अनधिकृत कब्जा करने वाले भी थे

फातिमा बीवी की। रहने वालों को पैसे देकर बेदखल किया जा रहा था। हालांकि, ए3 जो उस समय सत्तारूढ़ दल से जुड़े थे, और अरंथंगी पंचायत संघ के एक उपाध्यक्ष ने रहने वालों को खाली नहीं करने के लिए उकसाया, और उनमें से कई ने खाली करने से इनकार कर दिया। इस गवाह के अनुसार, इससे डी2 और ए3 के बीच झगड़ा हो गया और पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई। जिला कलेक्टर ने एक जांच की और उनके हस्तक्षेप के माध्यम से विवादों से समझौता किया गया।

33. इस गवाह ने यह भी कहा कि अरंथंगी में जिला मुन्सिफ अदालत में कुछ निवासियों के खिलाफ एक दीवानी मामला लंबित था।

फातिमा बीवी की पाला थोपू भूमि। डी2 अक्सर दीवानी मामले के संबंध में शिकायतकर्ता की बहन का बेटा होने के नाते डी1 के साथ अरंथंगी जाता था। पीडब्लू-1 के साक्ष्य से केवल यह पता चलता है कि ए1, ए3 और ए4 का डी2 के साथ संपत्ति विवाद था।

34. इस गवाह ने कहा कि डी2 के पिता ए4 के पास एक बजाज मोटर साइकिल थी जिसका पंजीकरण No.TN55/1406 था। 28 दिसंबर, 1990 को

लगभग 8:30 बजे जब यह गवाह अपनी राइस मिल में था, डी2 अपनी बहन के बेटे डी1 के साथ अपने वकील से मिलने के लिए ए4 के स्वामित्व वाली उक्त बजाज मोटर साइकिल पर अपने वकील से मिलने के लिए रवाना हुआ। डी2 मोटर साइकिल चलाता था और डी1 पिलियन सवार था। 35. 29.12.1990 को सुबह 1 बजे इस गवाह को D1 और D2 की मृत्यु की जानकारी मिली। उन्हें बताया गया कि डी1 और डी2 सड़क के किनारे चोटों के साथ पड़े थे और मोटर साइकिल भी पास में पड़ी थी।

36. यह जानकारी मिलने पर पीडब्लू-1 अपने पड़ोसी मोहम्मद मीरा और उसके बाद (2020) 3 एस. सी. आर. के साथ घटना स्थल के लिए रवाना हो गया।

उन्होंने एक शिकायत दर्ज कराई, जिसमें कहा गया कि उन्हें संदेह है कि उनकी बहन के बेटे डी1 और डी2 की ए 3 के उकसावे पर हत्या की गई थी।

37. उनके साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि मोटर चक्र की पहचान घटना के स्थान पर की गई थी। एक चार पहिया वाहन के टायर के निशान थे।

जिन्ना और अकबर जो सऊदी अरब में अल की दुकान में काम कर रहे थे। अल के उपरोक्त कर्मचारियों ने अल के पासपोर्ट की ज़ेरॉक्स प्रति पुलिस को दी, जिसने बाद में ए 1 को गिरफ्तार कर लिया। 39. जिरह में, इस गवाह ने स्वीकार किया कि उसने अपनी शिकायत में ए 3 के नाम के अलावा किसी के नाम का उल्लेख नहीं किया था। इस दौरान

उन्होंने कहा कि उन्हें संदेह है कि पी. एल. सुब्बैया, पेरुमल, कुमार, कुलंथियन और कुछ अन्य लोगों ने हत्या को अंजाम दिया होगा। दूसरे शब्दों में, उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उनकी शिकायत संदेह पर आधारित थी।

40. यह गवाह यह नहीं बता सका कि प्लास्टिक के कितने टुकड़े थे

पाया गया लेकिन पुष्टि की कि प्लास्टिक के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए थे। उन्हें याद नहीं था कि उनकी उपस्थिति में प्लास्टिक के टुकड़े जब्त किए गए थे या नहीं।

उन्हें यह भी याद नहीं था कि उनकी उपस्थिति में कांच के टुकड़े बरामद हुए थे या नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि कांच के टुकड़े पीले रंग के थे। प्लास्टिक के टुकड़े पीले और सफेद रंग के थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने पुलिस द्वारा प्रदर्शित सामग्री वस्तु एम. ओ. 3 का अवलोकन नहीं किया था। अदालत में।

41. यह सच है कि किसी भी गवाह द्वारा दुर्घटना स्थल पर पाए गए कांच के टुकड़ों की संख्या जैसे विवरणों पर ध्यान देने की संभावना नहीं है, जिससे मनुष्यों की जान चली गई। मर जाते हैं। इस तरह के विवरणों को याद रखने में असमर्थता अपने आप में प्रभावित नहीं करती है

गवाह की विश्वसनीयता। तथापि, इस मामले में, अभियुक्त व्यक्तियों या उनमें से किसी के अपराध को स्थापित करने के लिए पीडब्लू-1 के साक्ष्य में कुछ भी नहीं है, और निश्चित रूप से उचित संदेह से परे नहीं है।

42. पीडब्लू-1 ने केवल इतना कहा है कि सुलेमान रोथर और उनके बशीरा बेगम बनाम की संपत्तियों के संबंध में ए 3 और डी2 के बीच विवाद थे।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

बेटी। इस गवाह के साक्ष्य से ए 1 और डी2 के बीच या ए 4 और डी2 के बीच दुश्मनी का कोई विशिष्ट कारण सामने नहीं आया है।

43. अभियोजन पक्ष के दूसरे गवाह (पीडब्लू-2) एम. नागूर गनी ने कहा कि उन्होंने अंतिम एम. पी. टी. सी. द्वारा अरंथंगी से अरसरकुलम की यात्रा की थी।

यात्रियों ने नीचे उतरकर शवों को देखा। इसके बाद पीडब्लू-2 के साथ गणपति नामक एक व्यक्ति, जो उसी बस में यात्रा कर रहा था, गया और पीडब्लू-1 को मृत्यु की सूचना दी। पीडब्लू-2 ने कहा कि पुलिस ने घटना के डेढ़ साल बाद उससे पूछताछ की थी। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए इस गवाह के साक्ष्य से कुछ भी सामने नहीं आया है।

44. अभियोजन पक्ष की तीसरी गवाह (पीडब्लू-3), डी2 (पीडब्लू-3) की विधवा बशीरा बेगम ने पुष्टि की कि संपत्ति विवाद बढ़ रहे थे

सुलेमान और उसकी बेटी फातिमा की संपत्तियों को लेकर उसके पति और ए 3 के बीच दुश्मनी, जिसे ए 3 से वापस ले लिया गया था और डी2 को सौंपा गया था। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पति और उनके पिता (ए 4) के बीच पारिवारिक संपत्तियों को लेकर विवाद थे, जिनमें से डी2 विभाजन की मांग कर रहा था। डी2 ए 4 द्वारा नियंत्रित एक पेट्रोल बंक को उसे हस्तांतरित करने पर भी जोर दे रहा था। ए 4 ने उनकी मांग को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। पीडब्लू3 ने कहा कि घटना से पहले उसके पति और उसके पिता लगभग दो साल से एक-दूसरे से बात नहीं कर रहे थे। 45. पीडब्लू-3 ने कहा कि घटना की तारीख को, डी2 ने डी1 के साथ अरसरकुलम छोड़ दिया, यह कहते हुए कि वह अरंथंगी में अपने वकील से मिलना चाहता है। वह वापस नहीं आया। 29 दिसंबर, 1990 को सुबह लगभग 8 बजे उन्हें बताया गया कि उनके पति डी2 मृत पाए गए हैं।

स्वीकार करें कि उन्होंने जो कुछ अपदस्थ किया वह संदेह पर आधारित था। पीडब्लू-3 का साक्ष्य डी2 की हत्या का कोई उद्देश्य स्थापित नहीं करता है। 46. अभियोजन पक्ष का चौथा गवाह, आर. राजू (पीडब्लू-4), एमपीटीसी बस का संचालक है जिसमें पीडब्लू-2 यात्रा कर रहा था। केवल उसका सबूत

यह स्थापित करता है कि दो शव रेलवे क्रॉसिंग से लगभग दो फरलोंग की दूरी पर, एक तालाब के पास पाए गए थे, और दो शवों के पास तार रोड पर एक मोटरसाइकिल पड़ी थी।

47. पांचवें अभियोजन गवाह, एम. षण्मुगा सुंदरम, जो अरंथंगी (पीडब्लू-5) में वकालत करते हैं, ने कहा कि वह डी2 को जानता था, जो उसके पड़ोसी गाँव का था। उन्होंने पदच्युत किया कि 1990 में पीडब्लू-5 और ए 4 एक ही राजनीतिक दल में थे। उन्होंने संचालन करने से इनकार किया ए 4 के पुत्र डी2 के लिए कोई दीवानी मामला। उन्होंने यह भी कहा कि घटना के दिन वे अरंथंगी में नहीं थे। वे चेन्नई गए हुए थे। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए इस गवाह के साक्ष्य से कुछ भी सामने नहीं आया है।

48. अभियोजन पक्ष के छठे गवाह, एम. बालकृष्णन उर्फ चिनाप्पू (पीडब्लू-6) ने बयान दिया कि वह पुड्डुकोट्टई में एक लॉरी दलाल था, जो लॉरी की खरीद और किराए की व्यवस्था करता था। उन्होंने कहा कि वह ए 5 को जानते थे जिनके पास था

ए 1 द्वारा उनका परिचय कराया गया। उन्होंने कहा कि 1990 में उन्होंने अल के लिए टीडीबी 9635 वाला एक लॉरी खरीदा था, जिसके लिए ए 5 गारंटर के रूप में खड़ा था। अल ने उक्त लॉरी की खरीद के लिए पूरे पैसे का भुगतान किया था। पीडब्लू-6 ने कहा कि ए 5 ने भी उस लॉरी को बेचने में उसकी मदद की थी।

49. पीडब्लू-6 ने आगे कहा कि उसने लॉरी वाली गाड़ी खरीदी थी

15 दिनों के भीतर शेष राशि, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पीडब्लू-6 ने कहा कि अल के लिए खरीदा गया लॉरी अदालत के बाहर खड़ी थी। पूरी तरह से बदल गई स्थिति।

50. पीडब्लू-6 ने आगे कहा कि वह अरोक्यम के पास गया था

ट्रक को देखने के लिए मनप्पराई में दलाल के कार्यालय के पास कार्यशाला। उसने कहा कि वह वहाँ अकेला गया था। पीडब्लू-6 ने अपदस्थ किया कि कार्यशाला के मालिक ने उसे लॉरी को कार्यशाला से दूर ले जाने के लिए कहा था।

51. पीडब्लू-6 ने कहा कि उन्होंने इसके माध्यम से मयिलसामी (पीडब्लू-7) से संपर्क किया

फोन किया, लेकिन वह गाँव में नहीं था। पीडब्लू-6 लॉरी को दलाल की दुकान पर ले गया। कुछ दिनों बाद, पुलिस एक कार में आई, आर. वी. एस. लॉरी शेड में गई, जहाँ लॉरी खड़ी थी, और लॉरी को जब्त कर लिया। ए 5 भी पुलिस के साथ आया था। पीडब्लू-6 ने कहा कि उसने अल को 20.12.1990 के बाद नहीं देखा था, जिसके बाद उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और उससे जिरह की गई। अपनी जिरह में उसने स्पष्ट रूप से पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि अल आईडी1 पर सुबह 6:30 बजे से पहले उसके घर आया था।

पीडब्लू-6 बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

पुलिस को दिए गए बयानों में स्पष्ट रूप से गलत होने से इनकार किया गया है।

52. 7 वें अभियोजन गवाह एन. मयिलसामी (पीडब्लू-7), करूर के एक दलाल, लॉरी की खरीद और बिक्री के व्यवसाय में लगे हुए हैं।

एस. आर. एन. लॉरी सर्विस के नाम और शैली से पता चलता है कि उसने चेन्नई की एक कामाक्षी से पंजीकरण No.TSL 6579 के साथ लॉरी खरीदी थी। 20.12.1990 पर, A1, A5 और A6 रुपये की राशि में एक लॉरी खरीदने के लिए करूर आए थे। पीडब्लू-6 को रु। 25,000 / - अल से और उपरोक्त राशि को पीडब्लू-7 तक बढ़ा दिया। एक और राशि

रु. 25,000 / - 4 दिनों के भीतर भुगतान किया जाना था। यह राशि 24.12.1990 पर भुगतान की गई थी। समझौते के अनुसार, शेष राशि का भुगतान 4.01.1991/- से पहले किया जाना था।

53. इस गवाह ने अपदस्थ किया कि समझौते का मसौदा ए 5 द्वारा तैयार किया गया था और ए 1 और पीडब्लू-7 के बीच निष्पादित किया गया था, जिन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे। पीडब्लू-6 ने समझौते को देखा और ए 5 ने लेखक के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए।

54. पीडब्लू-7 ने पदच्युत किया कि लॉरी का कब्जा अल और ए 5 को 20.12.1990 पर दिया गया था। हालांकि, चूंकि पूरी राशि का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए पीडब्लू 7 ने उन्हें केवल पंजीकरण प्रमाण पत्र (आरसी), फिटनेस प्रमाण पत्र (एफसी) और परमिट की फोटो प्रतियां वितरित की थीं। पीडब्लू-7 ने पदच्युत किया कि

समझौता किया कि शेष राशि का भुगतान 4.01.1991 से पहले किया जाना था लेकिन ऐसा नहीं किया गया था। पीडब्लू-7 ने बताया कि जब वह करूर लौटे तो उन्हें बताया गया कि पीडब्लू-6 ने उनसे टेलीफोन पर संपर्क किया था। उन्होंने जल्द ही पीडब्लू-6 से संपर्क किया, जिसके बाद पीडब्लू-6 ने उन्हें बताया कि अरंथंगी पुलिस ने लॉरी को जब्त कर लिया है। पीडब्लू-7 ने पुलिस को आर. सी., एफ. सी. और परमिट की फोटोकॉपी दी।

55. 8 वें अभियोजन गवाह, एस. कुमार (पीडब्लू-8) ने कहा कि वह वेल्डिंग मशीन के साथ वेल्डिंग का काम कर रहे थे।

मणप्पराई के अरोक्यम की कार्यशाला। 1990 की एक रात जब पीडब्लू-8

अरोक्यम की उक्त कार्यशाला में वेल्डिंग का काम कर रहा था, अरोक्यम ने उसे सूचित किया कि वह शहर से बाहर जा रहा है। उन्होंने पीडब्लू-8 को एक लॉरी की मरम्मत करने का निर्देश दिया जिसे मरम्मत के लिए कार्यशाला में लाया गया था। पीडब्लू 8 ने कहा कि लॉरी की मरम्मत करने के बाद वह सोने चला गया। अगली सुबह, एक लेलैंड लॉरी को मरम्मत के लिए कार्यशाला में सुबह 4 बजे से पहले लाया गया। पीडब्लू-8 यह नहीं बता सका कि लॉरी का पंजीकरण नंबर क्या था।

पीडब्लू-8 ने कहा कि वह लॉरी की पहचान करने की स्थिति में नहीं था क्योंकि आठ साल पहले

बीत गया।

56. पीडब्लू-8 ने कहा कि अल उक्त लॉरी में आया था और उसने लॉरी का चालक होने का दावा किया था। पीडब्लू-8, स्पष्ट रूप से उस व्यक्ति [2020] 3 एस. सी. आर. को नहीं जानता था।

जो लॉरी लाया था, अन्यथा उस व्यक्ति के पास नहीं होता

दावा किया कि वह लॉरी का चालक था। हालाँकि, पीडब्लू-8 ने अल की पहचान की। यह अविश्वसनीय है कि पीडब्लू-8 इतने वर्षों के बाद लॉरी के चालक को ए 1 के रूप में पहचानने में सक्षम होना चाहिए, जब वह लॉरी की पहचान नहीं कर सका।

57. पीडब्लू-8 ने कहा कि अल ने उसे बताया था कि लॉरी को एक बैल ने टक्कर मार दी थी। जब पीडब्लू-8 ने सुबह लॉरी देखी, तो उन्हें सामने वाला हिस्सा मिला।

बाईं ओर की निचली रोशनी टूट गई थी। अल ने उसे मरम्मत के काम के लिए Rs.100/- दिया और काम खत्म करने के बाद उसे लॉरी PW-6 को देने के लिए कहा। 58. पीडब्लू-8 ने कहा कि उसने Rs.100/- की राशि अरोक्यम को सौंप दी थी और अरोक्यम से लॉरी को ए 6 को सौंपने के लिए कहा था। चार दिन

बाद में वह कार्यशाला में गया और लॉरी के बारे में पूछताछ की। उन्हें बताया गया कि ए 6 आया था और लॉरी ले गया था।

जिरह, कि वह आदमी जो लॉरी लाया था, दोपहर तक उसके साथ था। उसने कहा कि उसने उस आदमी को फिर कभी नहीं देखा। पुलिस ने उसे पहचान परेड के लिए नहीं ले गए। उन्होंने कहा कि लॉरी में की गई विशिष्ट मरम्मत का कोई सबूत नहीं है।

60. पीडब्लू-8 का साक्ष्य, यदि स्वीकार किया जाता है, तो सबसे अच्छा यह साबित होगा कि बाईं ओर एक टूटी हुई साइड लाइट के साथ एक लॉरी लाई गई थी। अरोक्यम की कार्यशाला की मरम्मत, वर्ष 1990 में सुबह 4 बजे से पहले।

61. पीडब्लू-8 का सबूत कि अल लॉरी लाया था, स्वीकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह लगभग असंभव है कि अल को सक्षम होना चाहिए

इतने वर्षों के बाद ए 1 को पहचानें, और वह भी जब उन्होंने खुद कहा है

कि वह सो रहा था जब लॉरी को कार्यशाला में लाया गया था। जब क्रॉस-एग्जामिनेशन में सामना किया गया, तो पीडब्लू-8 ने अपनी स्थिति में सुधार करने की कोशिश की सबूत यह कहते हुए कि जो व्यक्ति लॉरी लाया था वह दोपहर तक उसके साथ था, जिससे पहले के एक सवाल के उसके जवाब का खंडन किया गया कि वह मरम्मत के लिए जॉब कार्ड तैयार नहीं कर सका क्योंकि जब लॉरी लाई गई थी तो वह सो रहा था। इसके अलावा, यदि पी. डब्ल्यू.-8 द्वारा अपदस्थ किए जाने के अनुसार लॉरी के चालक ने उसे मरम्मत शुल्क के लिए <आई. डी. 1/- दिया था और उसे निर्देश दिया था कि लॉरी की डिलीवरी पी. डब्ल्यू.-6 को दी जाए, तो चालक के लिए दोपहर तक कार्यशाला में रहने का कोई कारण नहीं था।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

62. 9 वें अभियोजन गवाह, कुप्पुसामी (पीडब्लू-9) ने डी1 और डी2 की मृत्यु की जानकारी से इनकार किया और कहा कि घटना के दिन वह गाँव में नहीं थे। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की है। इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और अनुमति दी गई थी

क्रॉस-जाँच की गई। अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा में इस गवाह ने उसे दिए गए सुझावों का खंडन किया। उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने बयानों से इनकार किया। उन्होंने उस स्थान पर अपनी उपस्थिति से इनकार किया

घटना और पुलिस द्वारा जाँच किए जाने से भी इनकार किया। पीडब्लू-9 की प्रतिपरीक्षा से अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए कुछ भी सामने नहीं आया।

63. अभियोजन पक्ष के 10 वें गवाह, एम. अब्दुल जाफर (पीडब्लू-10) ने गवाही दी कि वह ए 1 और ए 3 से ए 6 को जानता था, लेकिन ए 2, ए 7 और ए 8 को नहीं जानता था। उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष चाहता था कि वह गवाह बने और सड़क पर दो लोगों की मौत के बारे में कुछ कहे। इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष ने उससे जिरह की। उन्होंने अपने सामने रखे गए सभी भौतिक सुझावों से इनकार किया और पुलिस को दिए गए बयानों से इनकार किया। उसके क्रूस से कुछ भी नहीं निकला।

जाँच।

64. 11 वें अभियोजन गवाह, पी. राजू (पीडब्लू-11) कट्टुमावाड़ी में फूलों के व्यवसाय में लगे हुए थे और उन्होंने कहा कि वह ए 1 को नहीं जानते थे। ए 3 या ए 4। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले कभी ए 7 नहीं देखा था। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं पता कि डी1 और डी2 की मृत्यु कैसे हुई। लेकिन उन्हें पता था कि उनकी मौत हो चुकी है। उन्होंने आगे कहा कि पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की है।

65. पीडब्लू-11 को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और क्रॉस होने की अनुमति दी गई

प्रतिपरीक्षा में सुझाव। उन्होंने विशेष रूप से पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि ए 1 ए 7 के साथ लॉरी में था। 66. 12 वें अभियोजन गवाह ए. आर. किट्टू उर्फ कृष्णमूर्ति (पीडब्लू-12), जो कराईकुडी का निवासी था और दो पहिया वाहनों की मरम्मत के लिए अरुण ऑटो के नाम पर व्यवसाय चलाता था, ने बयान दिया कि वह ए 1 को नहीं जानता था। उन्होंने आगे कहा कि 28.12.1990 से 31.12.1990 तक वह अपने शहर में नहीं थे। वह कार खरीदने के लिए पांडिचेरी गए थे। जब वह 31.12.1990 पर घर लौटा, तो कार्यशाला [2020] 3 एस. सी. आर. में काम करने वाले लड़कों में से एक।

उसे बताया कि एक आदमी मरम्मत के लिए सुजुकी मोटरसाइकिल लाया था और उसे कार्यशाला में छोड़ दिया था। दो दिन बाद, पुलिस कार्यशाला में आई और इस गवाह से उस व्यक्ति की पहचान करने के लिए कहा जिसने कार्यशाला में दोपहिया वाहन रखा था। 1 या 2 जनवरी, 1991 को दो मैकेनिक कार्यशाला में आए और मोटरसाइकिल वापस करने के लिए कहा। यह संदेह करते हुए कि कोई पुलिस मामला हो सकता है, इस गवाह ने यांत्रिकी से उस व्यक्ति से सहमति पत्र प्राप्त करने के लिए कहा जिसने कार्यशाला में मोटर साइकिल छोड़ दी थी। तदनुसार, उन्होंने सहमति पत्र प्राप्त किया और लाया, जिसके बाद इस गवाह ने मोटर साइकिल वापस कर दी। पत्र पुलिस को सौंप दिया गया।

67. इस गवाह ने अपदस्थ किया कि वह ए2 को नहीं जानता था। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष ने उससे जिरह की। उन्होंने

उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने बयानों से इनकार किया। विशेष रूप से, उन्होंने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि 24.12.1990 से नेशनल बैटरी वर्क्स के पास एक लेलैंड लॉरी रखी गई थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने ए2 को देखा या उससे बात की थी। उन्हें दिए गए भौतिक सुझावों को अस्वीकार कर दिया गया है। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए उसकी जाँच में कुछ भी सामने नहीं आया है।

68. अभियोजन पक्ष के 13 वें गवाह वी. मारिमुथु (पीडब्लू-13)

उसने कहा कि वह मृतक को जानता था और पुलिस ने मृतक की मौत के बारे में उससे पूछताछ की थी क्योंकि वह शवों को देख रहा था। उन्होंने कहा कि पुलिस चाहती थी कि वह अपने अंगूठे का निशान ठीक करे और तदनुसार उन्होंने किसी कागज पर अपने अंगूठे का निशान लगा दिया। इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। उन्होंने उन्हें दिए गए सभी सुझावों का स्पष्ट रूप से खंडन किया।

69. 14 वें अभियोजन गवाह एस. अरोक्यम राज (पीडब्लू-14) ने गवाही दी कि वह पिछले 20 वर्षों से मणप्पराई में राष्ट्रीय वेल्डिंग वर्क्स चला रहा था। उन्होंने कहा कि वे पीडब्लू-8 को जानते थे जिन्होंने उनकी कार्यशाला में एक टिंकर के रूप में काम किया था। उन्होंने कहा कि जब वे बाहर रहे

स्टेशन, उनके भाई कार्यशाला का प्रबंधन करते थे और कभी-कभी उनके कर्मचारी भी कार्यशाला का प्रबंधन करते थे।

70. पीडब्लू-14 ने अपदस्थ किया कि वह 28.12.1990 पर त्रिची गया था और 29.12.1990 पर मनाप्पराई वापस आ गया था। उनकी अनुपस्थिति में उनके भाई

और पीडब्लू-8 ने कार्यशाला का प्रबंधन किया था। इस गवाह ने कहा कि जब वह अपनी कार्यशाला में लौटे, तो उन्होंने वहां लॉरी टीएसएल 6579 देखी। इस गवाह (पीडब्लू-14) ने कहा कि पीडब्लू-6, जो मरम्मत के लिए अपनी कार्यशाला में लॉरी लाता था, ने उससे लॉरी की मरम्मत करने का अनुरोध किया था, जिसके सामने बाईं ओर एक छोटा सा डेंट था। बोल्ट और नट ढीले थे।

मरम्मत का कार्य विधिवत किया गया। लेकिन, कोई भी लॉरी को वापस लेने के लिए नहीं आया।

71. इस प्रतिनिधि ने कहा कि 4 या 5 दिन बाद, वह त्रिची गए, जहाँ उन्होंने बस स्टैंड पर पीडब्लू-6 को देखा। उन्होंने पीडब्लू-6 को बताया कि किसी के पास नहीं था।

मणप्पराई ने कहा कि उसने नकद रसीद No.1253 दिनांक 3.01.1991 जारी की थी। उन्होंने कहा कि लॉरी टीएसएल 6579 के संबंध में जारी किए गए उक्त बिल के तहत एक भारी मोटरसाइकिल की फ्रंट साइडलाइट Rs.75/- के लिए बेची गई थी। किसी ने भी इस विधेयक पर हस्ताक्षर या पहल नहीं की थी। 73. अभियोजन पक्ष के 16 वें गवाह, जे. चिन्नासामी (पीडब्लू-16) जो श्री गणेश एजेंसी की ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की दुकान चला रहे थे

मानप्पराई में पदच्युत किया कि 3.01.1991 पर, उन्होंने तीन बल्ब बेचे थे

Rs.55/- के लिए लॉरी की फ्रंट साइड लाइट, नकद रसीद No.5232 दिनांकित 3.01.1991 के सामने। उन्होंने उक्त नकद रसीद की पहचान की। नकद रसीद

रिकॉर्ड है कि बल्ब लॉरी टीएसएल 6579 के लिए बेचे गए थे। पीडब्लू-16 ने कहा कि उसने लॉरी का विवरण लिखा था और बिल पर हस्ताक्षर किए थे और पुलिस ने उसकी जांच की थी।

74. अभियोजन पक्ष के 17 वें गवाह, जी. भास्करन (पीडब्लू-17) ने बयान दिया कि वह 4 या 5 साल पहले कराईकुडी नेशनल के प्रबंधक थे।

बैटरी कंपनी, जहाँ बैटरियाँ बेची जाती थीं और उन्हें रिचार्ज और सर्विस भी किया जाता था। पीडब्लू-17 ने कहा कि 24.12.1990 पर, जब वह काम कर रहे थे

पंजीकरण No.TSL 6579 वाले लेलैंड लॉरी को बैटरी चार्ज कराने के लिए दुकान पर लाया गया और उसे Rs.10/- का नकद बिल जारी किया गया। पीडब्लू-17 ने कहा कि रसीद (Ex.P6) का काउंटरफॉइल उनके द्वारा भरा और आरंभ किया गया था। हालाँकि, उन्हें याद नहीं था कि कौन बैटरी चार्ज करने आया था, क्योंकि कई साल बीत चुके थे। उन्होंने कहा कि बैटरी चार्ज करने के बाद भी लॉरी स्टार्ट नहीं हुई। उन्होंने कहा कि उन्होंने लॉरी लाने वाले व्यक्ति से कहा था कि पुरानी बैटरी को नई बैटरी से बदल दिया जाए। हालाँकि, चूंकि कोई नई बैटरी स्टॉक में नहीं थी, इसलिए लॉरी में एक सर्विस्ड बैटरी लगाई गई थी। उन्होंने कहा कि सर्विस की गई बैटरी कभी वापस नहीं की गई। पीडब्लू-17 का साक्ष्य केवल यह साबित करता है कि [2020] 3 एस. सी. आर.

घटना से चार दिन पहले लॉरी को बैटरी चार्ज कराने के लिए बैटरी की दुकान पर लाया गया था। उसके सबूत से कोई मदद नहीं मिलती है

अभियोजन।

75. 18 वें अभियोजन गवाह, रसप्पन (पीडब्लू-18) ने कहा कि

घटना के समय वे वी. ए. ओ. के रूप में काम कर रहे थे। तिरुक्कोकर्णम के (ग्राम प्रशासनिक अधिकारी), वी. ए. ओ. पुदुकोट्टई दक्षिण के रूप में अतिरिक्त प्रभार धारण करते हुए। आई. डी. 1 पर, जब वह अपने सहायक, कलियमूर्ति के साथ पुडुक्कोट्टई तालुक कार्यालय से लौट रहा था, तो उसने अपराध शाखा निरीक्षक, अरंथंगी और दो सिपाहियों को एक दोहरी हत्या के मामले में गिरफ्तार करने के बाद आरोपी अब्दुल हमीद (ए 3) और आरोपी मोहम्मद इब्राहिम (ए 4) के बारे में पूछताछ करते हुए पाया। उन्होंने कहा कि दोनों आरोपी अलग-अलग मौखिक बातचीत कर रहे थे

अपराह्न लगभग 3 बजे पीडब्लू-18 के बयानों में कहा गया कि उन्होंने और उनके सहायक ने दोनों बयानों पर हस्ताक्षर किए।

76. 19 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू-19) चित्रवेलु, वी. ए. ओ. अथानी गाँव, अरंथंगी (पीडब्लू-19) ने गवाही दी कि वह अपने सहायक मरियप्पन के साथ लगभग दोपहर 1 बजे एक होटल जा रहा था। अवुदयारकोइल मंदिर के सामने उन्होंने अपराध शाखा निरीक्षक को देखा

अरंथंगी और कुछ अन्य पुलिसकर्मी शेख दाऊद (ए 5) से बात कर रहे हैं। ए 5 ने पुलिस को बताया कि अगर उसे मणप्पराई ले जाया गया तो वह वाहन दिखा देगा। उनका बयान दर्ज किया गया। पीडब्लू-19 ने कहा कि Ex.P7 ए 5 द्वारा दिए गए इकबालिया बयान का स्वीकार्य हिस्सा था। इस गवाह ने कहा कि उसने और उसके सहायक ने बयान में अपने हस्ताक्षर किए थे। लॉरी का नंबर टीएसएल 6579 था और लॉरी का मेक लेलैंड था। दोपहर 3 बजे तक यह गवाह अपने सहायक के साथ अपराध शाखा निरीक्षक, मणप्पराई के साथ आर. वी. एस. गया। लॉरी ब्रोकर शेड, जहाँ लॉरी टीएसएल 6579 खड़ी थी। ए 5 ने लॉरी की पहचान की और पुलिस ने उसे जब्त कर लिया। शाम 7:45 बजे तक वसूली महाजर तैयार हो गया और इस गवाह और उसके सहायक ने उस पर हस्ताक्षर कर दिए। इस गवाह ने कहा कि जिस लॉरी को जब्त किया गया था, उसे अदालत परिसर के बाहर खड़ा किया गया था। इस गवाह ने अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिपरीक्षा के दौरान उसे दिए गए इस सुझाव का खंडन किया कि पूर्व में उसके हस्ताक्षर हैं। पी4, पी5 और पी9 के साथ-साथ पुलिस थाने में इकबालिया बयान भी प्राप्त किया गया था।

77. 20 वें अभियोजन गवाह राजेंद्रन (पीडब्लू-20) को अपदस्थ कर दिया गया।

कि घटना के समय वह वी. ए. ओ. थूथुकुडी थे। सुबह जल्दी 29.12.1990 पर, उनके सहायक, करुप्पन, उनके पास आए और उन्हें बताया कि पापनकुलम बशीरा बेगम v के पास दो शव पाए गए हैं।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

रास्ते में। यह सुनकर वह तुरंत टीवीएस 50 वाहन में अपने सहायक के साथ घटना स्थल पर गया। उन्होंने कहा कि

पीडब्लू-20 ने कहा कि वह पुलिस के साथ था जब उन्होंने वस्तुओं को बरामद किया। शाम 5 बजे तक पुलिस ने खून से सना मिट्टी और मिट्टी के छोटे-छोटे टुकड़े एकत्र कर लिए। सड़क से खून के धब्बे। पीडब्लू-20 ने मोटर चक्र के बाईं ओर के दर्पण, मोटर चक्र के बाईं ओर के संकेतक, सफेद प्लास्टिक के टुकड़े, नारंगी प्लास्टिक के टुकड़े, बॉल पॉइंट पेन और इसी तरह की अन्य वस्तुओं की पहचान की। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए इस गवाह के साक्ष्य में कुछ भी सामने नहीं आया है।

78. अभियोजन पक्ष के 21 वें गवाह, चिदंबरम (पीडब्लू-21) ने कहा कि घटना के समय वह वी. ए. ओ., कुम्मानगाडू थे।

अरंथंगी। रामानथन नामक एक व्यक्ति उनका ग्राम सहायक था। उन्होंने कहा कि

पुलिस स्टेशन और वहाँ से वह कट्टुमावाड़ी कोने में चला गया। पुलिस ने प्लेटो टीवी केंद्र के सामने कृष्णन (ए 7) को गिरफ्तार किया। हालाँकि, यह गवाह अदालत में ए 7 की पहचान नहीं कर सका। उसे अभियुक्त कृष्णन के इकबालिया बयान का वह हिस्सा सौंप दिया गया, जिस पर एक्स. पी.-13 अंकित था, जिसे अभियोजन पक्ष द्वारा स्वीकार्य होने का दावा किया गया था, जिसकी पहचान उसने की थी। उन्होंने कहा कि कृष्णन ने कहा था कि अगर उन्हें मांगुडी ले जाया जाता है, तो वह वह तालाब दिखाएगा जहाँ उसने लोहे की छड़ फेंकी थी। इस गवाह (पीडब्लू-21) ने कहा कि यह गवाह, उसका ग्राम सहायक, कृष्णन (ए-7)

बताइए कि तालाब में पानी भरा था या नहीं। वह ए 7 की पहचान भी नहीं कर सके। हालाँकि, उन्होंने जोर देकर कहा कि M.O.23 लोहे की छड़ थी। उन्होंने यह भी कहा कि एक मजार (एक्स. पी.-14) तैयार किया गया था जिस पर उन्होंने हस्ताक्षर किए थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक जांच किए गए किसी अन्य गवाह ने मांगुडी में एक तालाब से लोहे की छड़ की बरामदगी के बारे में कुछ नहीं कहा है।

79. डॉ. उसेन मस्त, सिविल सहायक सर्जन, जो सरकारी अस्पताल अरंथंगी में डॉक्टर के रूप में काम कर रहे थे, और

22 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू-22) के रूप में अपदस्थ डॉ. शिवसुब्रमणियन के साथ डी2 का पोस्टमार्टम किया गया।

80. इस गवाह ने डी2 के मृत शरीर पर पाई गई बाहरी और आंतरिक चोटों का विवरण दिया और राय दी कि डी2 की मृत्यु पोस्टमॉर्टम से 16 से 18 घंटे पहले हो सकती थी, चोटों और खून बहने के परिणामस्वरूप। पीडब्लू-22 ने उनके द्वारा तैयार और हस्ताक्षरित पोस्टमॉर्टम प्रमाणपत्र की पहचान की और पुष्टि की कि उस पर भी डॉ.

शिवसुब्रमणियन। पीडब्लू-22 ने राय दी कि उनकी उपस्थिति से, चोटें

कहा जा सकता है कि डी2 की छाती और पेट पर डी2 के वाहन द्वारा कुचल दिए जाने के कारण हुआ था। डी2 के शरीर पर चोटें थीं, जो हो सकती थीं अगर वह किसी वाहन से टकराया होता और कठोर जमीन पर गिर गया होता।

81. पीडब्लू-22 ने आगे कहा कि यह उस व्यक्ति के लिए संभव था जो

साधारण चोटों को बनाए रखने के लिए, एक वाहन से टकराने के बाद, जमीन पर गिर गया। उन्होंने कहा कि चोटों की प्रकृति कई कारकों पर निर्भर करेगी, जिसमें वाहन की गति, वाहन का वह हिस्सा जो वाहन से टकराता है।

पीड़ित, वह वस्तु जो पीड़ित के गिरने पर लगी थी, और शरीर का वह हिस्सा जो मारा गया था।

82. पीडब्लू-22 ने बयान दिया कि पोस्टमॉर्टम के दौरान दोनों हाथों को शरीर के साथ टिका हुआ देखा गया था और उसी में टायर के निशान पाए गए थे

माप। पीडब्लू ने कहा कि अगर एक भारी मोटर वाहन किसी व्यक्ति के ऊपर से गुजर जाता है, तो टायर के निशान दिखाई नहीं देंगे। यदि कोई व्यक्ति भारी वाहन की चपेट में आने के बाद गिर जाता है, तो जबड़े की हड्डी टूटने और दांत टूटने की संभावना थी। 83. पीडब्लू-22 ने उस चोट को पद से हटा दिया। 1 और 3 सरल थे। चोट संख्या 1 का कारण बन सकता था यदि कोई व्यक्ति बशीरा बेगम v से फेंके जाने पर नीचे गिर जाता।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

एक वाहन। पीडब्लू-22 ने उस चोट को पद से हटा दिया। 6 8 तक मौत का कारण बन सकते हैं। चोट संख्या। 9 11 तक का कारण हो सकता है अगर किसी व्यक्ति को फेंक दिया गया हो और वह कठोर जमीन पर गिर गया हो। जब एक व्यक्ति को फेंक दिया गया था शरीर के उस हिस्से की हड्डियाँ जो पहले जमीन से टकराती हैं टूट जाती हैं। पीडब्लू-22 ने कहा कि चेहरे पर चोटें उसे दिखाई गई छड़, यानी एमओ-23 के कारण हो सकती हैं।

84. हालाँकि, पीडब्लू-22 ने वास्तव में कहा कि, यह संभव था कि चेहरे पर चोटें हो सकती थीं यदि मृतक ने

फेंक दिया गया और यह कि मृतक को एम. ओ.-23 द्वारा मारे जाने का कोई आभास नहीं था। इस गवाह के साक्ष्य से पता चलता है कि डी2 को एक भारी वाहन ने कुचल दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। 85. सिविल सहायक सर्जन डॉ. मुरुगेसन, जिन्होंने 23 वें अभियोजन गवाह (पीडब्लू-23) के रूप में गवाही दी थी, उस समय अरंथंगी के सरकारी अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में भी काम कर रहे थे।

घटना। उन्होंने कहा कि 29.12.1990 पर, पुलिस निरीक्षक, अरंथंगी ने डी1 के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने डॉ. के साथ शव का पोस्टमार्टम किया।

करुणाकरन, जो उसी अस्पताल में सहायक सर्जन के रूप में काम कर रहे थे। पीडब्लू-23 ने कहा कि जब शव को पोस्टमॉर्टम के लिए लाया गया तो कठोरता से पोस्टमार्टम शुरू हो गया था। शव ऊपर की ओर पड़ा हुआ था। पूरे शरीर पर खून के घाव पाए गए और नाक और मुंह में खून के थक्के थे। उसके पूरे चेहरे पर खून सूख गया था और दोनों कानों से खून बह रहा था।

86. पीडब्लू-23 ने डी1 पर पाई गई चोटों का वर्णन किया और कहा कि मृत्यु पोस्टमॉर्टम से 14 से 20 घंटे पहले हुई होगी। वह.

निशानियाँ। इस गवाह ने कहा कि टायरों पर कोई निशान नहीं होगा थके हुए थे। तत्काल मृत्यु केवल सिर की चोट के कारण हुई होगी। चोट संख्या 3 के कारण तत्काल मृत्यु हो सकती है। सिर और शरीर पर चोटें [2020] 3 एस. सी. आर. में लगी होंगी।

उसे दिखाया गया था। उन्होंने कहा कि चोट संख्या। 3 और 4 के कारण हो सकता था अगर एम. ओ.-23 जैसी छड़ से मारा जाता। रॉड, यदि बल के साथ उपयोग किया जाता है, तो चोट संख्या 9 और चोट No.10 हो सकती है। 87. जिरह में, इस गवाह ने कहा कि दुर्घटना तब हो सकती थी जब कोई स्थिर वाहन चलती गाड़ी से टकरा गया हो, या अगर

चलती गाड़ियों के बीच टक्कर हो गई। यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाता है

दुर्घटना में वह गिर जाता है, उसके ऊपर से पहिया चले जाने की संभावना होती है। चोट संख्या। 3 और 4 वाहन दुर्घटना के कारण हो सकते हैं।

चोट संख्या। 9 और अगर मृतकों को हिंसक बल से फेंक दिया जाता तो 10 हो सकते थे। चोट संख्या। 5 8 तक का कारण बन सकता था, भले ही किसी व्यक्ति को बिना ज्यादा बल के फेंक दिया गया हो।

88. इस गवाह के साक्ष्य से, यह प्रतीत होता है कि चोटें

डी1 के शरीर पर पाया गया अगर डी1 को मोटरसाइकिल से फेंक दिया गया होता और किसी अन्य वाहन से टकराने के बाद कठोर जमीन पर गिर गया होता। चोटें भी हो सकती थीं यदि डी1 को एम. ओ. 2 के समान छड़ से मारा गया होता। डी1 की मृत्यु के कारण के संबंध में इस गवाह की राय अनिर्णायक है।

जिला ने उस मोटर साइकिल पर हुए नुकसान का वर्णन किया जिस पर मृतक सवार थे। उन्होंने कहा कि नुकसान भी हो सकता है। यदि मोटर साइकिल किसी अन्य वाहन से टकरा गई थी या मोटर साइकिल गिर गई थी। अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष को उसके साक्ष्य से कोई मदद नहीं मिलती है।

90. 25 वें अभियोजन गवाह, पी. शिवकुमार, एक वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-I, फोरेंसिक प्रयोगशाला, पुदुकोट्टई (पीडब्लू-25) ने गवाही दी कि उन्होंने घटना स्थल और मोटर साइकिल का निरीक्षण किया था जिस पर मृतक यात्रा कर रहे थे (एमओ-1)। इस बात के संकेत थे कि वाहन को किसी अन्य वाहन ने टक्कर मार दी थी। उन्होंने जांच अधिकारी को मोटर साइकिल (एमओ-1) से टकराने वाले वाहन के पेंट के स्क्रैप और एमओ-1 के पेंट के स्क्रैप को संरक्षित करने की सलाह दी थी। मोटर साइकिल के पास तार सड़क पर खून के धब्बे थे। शव को सड़क पर घसीटने के भी संकेत थे। पीले रंग के कांच के टुकड़े और सफेद और नारंगी रंग के प्लास्टिक के टुकड़े (एमओ 16) थे। इस गवाह ने सलाह दी थी कि एमओ-16 और तार सड़क पर खून को संरक्षित किया जाए। गवाह ने कहा कि बशीरा बेगम बनाम के स्थान पर टायर के निशान से।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

घटना में, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लॉरी जैसे भारी वाहन शामिल हो सकते हैं। टूटे हुए नारंगी और सफेद रंग के कांच के टुकड़े

संकेतक से हो सकता है और हरे, लाल और सफेद रंग के टुकड़े बम्पर से हो सकते हैं।

91. पीडब्लू-25 ने कहा कि उन्होंने लॉरी की जांच में भी मदद की थी

9.2.1991 पर टीएसएल 6579 है। लॉरी के बाईं ओर छेड़छाड़ की गई थी। छेड़छाड़ वाले क्षेत्र में काले और लाल रंग की एक हल्की परत देखी जा सकती है। लॉरी का अगला बम्पर सफेद धातु की चादरों के दो टुकड़ों से ढका हुआ था। दाहिनी ओर की पीली रोशनी अच्छी स्थिति में पाई गई, लेकिन बाईं ओर की पीली रोशनी टूटी हुई पाई गई। लॉरी के सामने की नंबर प्लेट अच्छी स्थिति में नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने इंस्पेक्टर से नंबर प्लेट को सुरक्षित रखने के लिए कहा था। सामने की हेडलाइट में टी, आई, एम और ई अक्षर थे. दूसरी हेडलाइट में 'लुकास' शब्द था। इनमें से दो

लॉरी के संकेतक बिना चालक के थे। एक में प्लास्टिक का आवरण नहीं था और दूसरे में सफेद और नारंगी रंग का आवरण था। पीडब्लू-25 ने कहा कि उन्होंने निरीक्षक को सभी वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण के लिए भेजने की सलाह दी थी।

92. जिरह में, इस गवाह ने कहा कि लॉरी और मोटरबाइक से एकत्र किए गए नमूना पेंट स्क्रैपिंग नहीं थे

उसका विश्लेषण किया। घटना स्थल पर पेंट की मात्रा अधिक नहीं थी। वह यह नहीं बता सके कि पाया गया पेंट तेल के साथ मिश्रित था या प्लास्टिक का पेंट था। पेंट के विश्लेषण के लिए जिले में कोई प्रयोगशाला नहीं थी। पीडब्लू-25 ने कहा कि भारी वाहनों में बसें शामिल हैं, लेकिन घटना स्थल पर टायर के निशान को देखने से यह आभास हुआ कि वाहन एक लॉरी हो सकता है। टायर के निशान, जो लगभग 8 इंच चौड़े थे, बस के टायर के अनुरूप भी हो सकते हैं।

93. पीडब्लू-25 ने कहा कि उन्हें भारी वजन का विशेष ज्ञान नहीं था

लॉरी और बसों के अलावा अन्य वाहन। उन्होंने कहा कि एक बस, लॉरी और एक कार की हेड लाइट एक ही आकार की थी। हेडलाइट की गुणवत्ता के साथ-साथ संकेतक का कांच का आवरण भी निर्माता पर निर्भर करेगा।

94. यह गवाह यह नहीं कह सका कि क्या कांच के टुकड़े

घटना का स्थान लॉरी, बस या कार से था। इस गवाह ने कहा कि पेंट की गुणवत्ता उस कंपनी पर निर्भर करेगी जिसने पेंट का निर्माण किया था। वह यह नहीं बता सके कि इस मामले में एकत्र किए गए पेंट का निर्माण किस कंपनी ने किया था। वह यह भी नहीं बता सके कि लॉरी के सामने वाले हिस्से को कब काला और लाल रंग दिया गया था।

95. अभियोजन पक्ष के 26 वें गवाह ए. सुब्रमण्यन (पीडब्लू-26) ने केवल इतना कहा कि उन्होंने दो शवों की तस्वीरें ली थीं। कुछ ज्यादा नहीं।

उसकी परीक्षा से सामने आया है।

96. 27 वें अभियोजन गवाह, त्यागराजन (पीडब्लू-27) जो एक फोटोग्राफर भी हैं, ने कहा कि उन्होंने लॉरी की तस्वीरें ली थीं।

अरंथंगी पुलिस स्टेशन। उसके साक्ष्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

97. अभियोजन पक्ष के 28 वें गवाह, पी. सोंडराजन (पीडब्लू-28), जो त्रिची डॉग दस्ते में एक सिपाही थे, ने कहा कि 29.12.1990 पर उन्होंने कहा कि

'FRUIT' नामक पुलिस कुत्ते के साथ अरसरकुलम रोड गया। दो शव थे। कुत्ते ने शव पर खून सूंघ लिया। खून सूँघने के बाद कुत्ता कुछ दूर भागा, पापनकुलम में घुस गया और पानी तक चला गया और भौंकने लगा। इसके बाद कुत्ता उस स्थान पर लौट आया जहाँ शव पाए गए थे। फिर आगे बढ़े

अरसरकुलम और 2 या 3 सड़कों पर चलता था। अचानक यह ईस्ट स्ट्रीट, अरसरकुलम में एक घर के सामने लेटा हुआ था। पीडब्लू-28 ने कहा कि वह दरवाजे का नंबर या घर के मालिक को नहीं जानता था। इंस्पेक्टर और डिप्टी। पुलिस अधीक्षक उस घर पर आए जहाँ कुत्ता पड़ा था और उसे वहाँ से चले जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि कुत्ते ने एक भौतिक वस्तु की पहचान की। हालाँकि, बचाव पक्ष ने इस पर आपत्ति जताई कि यह साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं है।

98. पूछताछ में पीडब्लू-28 ने कहा कि उसने पुलिस को उन स्थानों के बारे में बताया था जहां पुलिस का कुत्ता सूंघने के बाद गया था।

मृत शरीर। उन्होंने इस सुझाव का खंडन किया कि वे 7/8 साल बीत जाने के कारण घटनाओं को याद नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि वह एक डायरी में प्रविष्टियों के आधार पर सबूत दे रहे थे। लेकिन डायरी को अदालत में नहीं लाया गया। यदि कुत्ते की प्रतिक्रियाओं के संबंध में इस गवाह के साक्ष्य को डी2 और डी1 की मृत्यु का कारण बनने वाले व्यक्ति/व्यक्तियों की गतिविधियों के संकेत के रूप में स्वीकार किया जाना है, तो साक्ष्य उस मामले का खंडन करेगा जो अभियोजन पक्ष द्वारा बनाए जाने की मांग की गई थी। 1,2 और सभी 7 लोग एक लॉरी में थे। अगर वे सभी लॉरी में आए होते तो वे भी लॉरी में चले जाते। इस गवाह के साक्ष्य पर कुछ भी नहीं जाता है।

99. 29 वें अभियोजन गवाह, पी. गोविंदराजन (पीडब्लू-29), ए

मानामेलकुडी पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल ने गवाही दी कि 30.4.1990 पर, ए 4 नागुडी पुलिस स्टेशन आया था और अपने बेटे डी1 के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत एक्स. पी.-20 की थी। पुलिस ने पूछताछ की और उसके बाद डी2 को अपने पिता के साथ झगड़ा न करने की सलाह दी, जिसके बाद

डी2 ने वादा किया था कि वह पारिवारिक संपत्ति को लेकर अपने पिता से नहीं लड़ेगा। उनके साक्ष्य का दिसंबर, 1990 की घटना से कोई संबंध नहीं है।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

प्रक्रिया। जमीन से संबंधित शिकायत में एक सहयोगी पर अलगुराज और कासिलिंगम और दूसरी पर पेरुमल, कुमार करुप्पिया और रंगन शामिल थे। इस गवाह ने कहा कि वह शिवसुब्रमण्यम की लिखावट और हस्ताक्षर जानता था। जिरह में यह गवाह यह नहीं कह सका कि क्या शिकायत पेरूमल और अन्य लोगों के इनकार करने के कारण दर्ज की गई थी विवादित भूमि खाली करें। इस गवाह के साक्ष्य का भी उस घटना से कोई लेना-देना नहीं है जो दिसंबर, 1990 को हुई थी।

101. 31 वें अभियोजन गवाह ए. हमसत (पीडब्लू-31), अवुदयारकोइल पुलिस स्टेशन के एक हेड कांस्टेबल ने कहा कि

घटना यह थी कि वह अरंथंगी में ग्रेड-II कांस्टेबल था और डी2 के शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल ले गया था और पोस्टमार्टम के बाद उसे वापस ले आया था। अभियुक्त के अपराध के लिए उसके साक्ष्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है। 102. 32 वें अभियोजन गवाह आर. सेतु (पीडब्लू-32), जो 29.12.1990 पर अरंथंगी पुलिस स्टेशन में उप-निरीक्षक थे, ने

पीडब्लू-1 द्वारा दर्ज की गई शिकायत दर्ज की गई, जिसके आधार पर अपराध

प्रयोगशाला, चेन्नई। बाद में उनका तबादला कर दिया गया। 104. 34 वें अभियोजन गवाह, ए. एस. रामू, चेन्नई में फोरेंसिक प्रयोगशाला के मुख्य वैज्ञानिक सहायक (पीडब्लू-34), एक लिखावट

संदिग्ध दस्तावेजों की जांच में लगभग 20 वर्षों के अनुभव वाले विशेषज्ञ ने कहा कि उन्हें [2020] 3 एस. सी. आर. से संबंधित रजिस्टर के पृष्ठ 54 पर क्रम संख्या 942 में प्रविष्टियों की लिखावट की तुलना करने की आवश्यकता थी।

मलार लॉज होटल कराईकुडी (एक्स पी-24) जिसे उन्होंने क्यू1 और क्यू2 नंबर दिया था, जिसमें से एक की नमूना लिखावट और हस्ताक्षर थे। अभियुक्त (ए 8)। यह मानते हुए भी कि ए 8 के हस्ताक्षर और लिखावट रजिस्टर में थी, यह केवल यह स्थापित करता है कि उक्त आरोपी घटना से छह महीने पहले होटल गया होगा।

105. अभियोजन पक्ष के 35 वें गवाह, श्री फ्रांसिस जेवियर (पीडब्लू-35) सहायक निदेशक, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, रामनाथपुरम

रेंज, जो 13.3.1989 से 15.5.1992 तक सहायक फोरेंसिक विज्ञान विभाग, चेन्नई रहे थे, ने घटना स्थल से एकत्र की गई वस्तुओं और स्क्रैपिंग और/या वाहन से जुड़ी वस्तुओं टीएसएल 6579 के बीच समानता पाई। हालांकि, प्रतिपरीक्षा में यह गवाह यह नहीं बता सका कि संकेतक (एमओ-34 और 35) मोटर साइकिल से संबंधित हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने उपरोक्त विभाग में कोई प्रशिक्षण नहीं लिया था। वह यह नहीं बता सके कि क्या एम. ओ. 32-33 बस, लॉरी या कार से थे। उन्होंने कहा कि पेंट की हर श्रेणी की पहचान नहीं की जा सकी है। वह नहीं जानता था कि कैसे

कई प्रकार के पेंट उपलब्ध थे। उन्होंने कहा कि पेंट को श्रेणी का पता लगाने के लिए विश्लेषण और उसके बाद प्राप्त राय के लिए प्रयोगशाला में भेजना होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार का पेंट प्राप्त हुआ

प्रयोगशाला तामचीनी पेंट थी, जिसका उत्पादन कई कंपनियों द्वारा किया जाता है। उन्होंने समान और समान के बीच अंतर किया। उन्होंने कहा कि

एल. यू. सी. ए. एस. फ्रंट लाइट विशेष रूप से किसी विशेष से संबंधित नहीं हो सकती है। वाहन। उनकी रिपोर्ट में उल्लिखित संकेतक मोटर साइकिल का था।

उनकी राय में यह उल्लेख नहीं था कि इसे किस कंपनी ने बनाया था। टूटे हुए पीले कांच के टुकड़ों में अक्षरों को एक साथ इकट्ठा किया गया था और लॉरी के अखंड पीले कांच के साथ तुलना की गई थी, लेकिन व्यास की मोटाई और अन्य भौतिक मापदंडों का विश्लेषण नहीं किया गया था। उन्होंने व्यास, लंबाई आदि का कोई भौतिक विश्लेषण किए बिना अपनी राय दी थी। जब 30 टूटे हुए कांच के टुकड़ों को एक साथ जोड़ा गया, तो डी इन इंडिया अक्षर देखे जा सकते थे।

106. 36 वें अभियोजन गवाह, ए. अल्लीमुथु, पुलिस निरीक्षक (पीडब्लू-36) ने 3.2.1992 पर मामले की जांच शुरू की थी। उन्होंने कहा कि आरोपी को 5.6.1992 तक गिरफ्तार नहीं किया गया था। उन्होंने उनकी तलाश की। 24.6.1992 पर वह गवाहों के साथ कराईकुडी गया था। चिदंबरम (पीडब्लू-21) और रामनाथन ने मजार (एक्स पी-28) के तहत 5.5.1990 से 11.8.1990 (एक्स पी-24) तक की अवधि के लिए मलार लॉज के रजिस्टर को जब्त कर लिया। 24.6.1992 को, वह गाँव उंजनई गया था और मजार (पूर्व) के तहत रामासामी (ए-8) की लिखावट और हस्ताक्षर प्राप्त किए थे। पी-25)। 24.6.1992 पर, उन्होंने चिदंबरम (पीडब्लू-21), बशीरा बेगम बनाम की जाँच की थी।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

रामनाथन, चालक महालिंगम और राजू (पीडब्लू-4) ने अपने बयान दर्ज कराए। आई. डी. 1 पर उन्होंने शिकायतकर्ता (पी. डब्ल्यू.-1), नोगूर गनी (पी. डब्ल्यू.-2) शनमुगा सुंदरम (पी. डब्ल्यू.-5) और गवाह गणपति से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 26.6.1992 पर जब्त किए गए हस्ताक्षर और हाथ के लेखन को आगे के प्रसारण के लिए अदालत में भेजा गया था।

आवश्यकता के तहत रासायनिक प्रयोगशाला में (पी-29)। उन्होंने कहा कि उन्होंने सब इंस्पेक्टर चिन्नादुरई (पीडब्लू-30), हेड कांस्टेबल से भी पूछताछ की। गोविंदराजन (पीडब्लू-29) और ए-4 ने अपने बयान दर्ज किए। जिरह में उन्होंने कहा कि उन्होंने किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। चौथे अभियुक्त (ए 4) को अभियुक्त के रूप में उद्धृत नहीं किया गया था और इसलिए उसे गिरफ्तार नहीं किया गया था। 24.6.1992 पर, A8 ने अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया और उसे जमानत दे दी गई।

107. 37 वीं अभियोजन गवाह राधिका, फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, चेन्नई (पीडब्लू-37) में एक वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-I ने कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरंथंगी ने अपराध संख्या 668/1990 में सीरोलॉजी रिपोर्ट के लिए अनुरोध करते हुए एक पत्र भेजा था। उन्होंने सीरोलॉजी रिपोर्ट एक्स-32 की पहचान की। रिपोर्ट घटना स्थल पर पाए गए कपड़ों, टूटे हुए दांतों, मिट्टी, धातु की छड़ आदि के संबंध में है और किसी भी तरह से आरोपी से संबंधित नहीं है।

108. 38 वें अभियोजन गवाह एम. राधामणी (पीडब्लू-38), एक वैज्ञानिक सहायक ग्रेड-I ने कहा कि रक्त जांच के लिए भेजा गया था।

मानव रक्त था, लेकिन समूह बनाना संभव नहीं था। दो कांच की नलियों में रक्त की जांच की गई, जो डी1 और डी2 के थे, लेकिन समूह निर्धारण अनिर्णायक था। पी1 भौतिक वस्तुओं की कुछ वस्तुओं में 'ओ' समूह का मानव रक्त था। कुछ अन्य वस्तुओं में पाए गए रक्त का समूह बनाना संभव नहीं था। उसके साक्ष्य की अपराध के लिए कोई प्रासंगिकता नहीं है

अभियुक्त।

109. अभियोजन पक्ष के 39 वें गवाह फारूक, निवासी

अरसरकुलम मेलपति (पीडब्लू-39) ने कहा कि वह अल को ए 7 से जानते थे लेकिन वह ए 8 को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि ए 4 का घर उनके घर के पूर्व में स्थित था। ए 2 और ए 7 ए 3 के घर आते थे। वह ए 3 के घर भी जाता था। इस प्रकार वह ए 2 और ए 7 से परिचित हो गए। वह जानता था कि ए 4 के पुत्र डी2 की मृत्यु हो गई थी। उन्हें पता था कि डी1 पीडब्लू-1 की बहन का बेटा था। उसकी भी मौत हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि घटना के दिन, वह अरंथंगी में अपनी चावल मिल में थे। घटना के दिन, उसके साथी का बेटा, जो उसके घर से उसका खाना लाता था, अपने भोजन के साथ नहीं आया। उसका साथी अपने बेटे की तलाश में गया, लेकिन रास्ते में उसे बताया गया कि एक हत्या के कारण बस सेवा बाधित हो गई है। उन्हें यह भी बताया गया कि डी2 और डी1 [2020] 3 एस. सी. आर.

बस सेवा में व्यवधान या हत्या की किसी भी अफवाह के बारे में कुछ भी कहा है। इस गवाह ने कहा कि पुलिस ने उससे पूछताछ नहीं की थी, जिसके बाद उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और पुलिस ने उससे जिरह की। अभियोजन। जिरह में उसने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि ए 8 ए 2 और ए 7 के साथ ए 3 के घर जाता था। उन्होंने इनकार किया कि

पुलिस को बयान दिए, सुझावों के माध्यम से उन्हें जिम्मेदार ठहराया। उसने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि अल उसे और पीडब्लू-10 को लॉरी के स्पेयर पार्ट्स खरीदने के लिए कराईकुडी ले गया था। उन्होंने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि अरंथंगी पहुंचने के बाद ए 4 और ए 5 उनके साथ शामिल हो गए। उन्होंने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि वे मलार लॉज होटल गए थे। उन्होंने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि आरोपी ने डी2 को मारने की साजिश रची थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि अल ने दावा किया था कि वह एक लॉरी की मदद से डी2 को मार देगा। उन्होंने आरोपी द्वारा लॉरी की व्यवस्था करने के संबंध में कोई बयान देने से इनकार किया। उन्होंने धारा 161 Cr.PC के तहत पुलिस द्वारा कथित रूप से दर्ज किए गए बयानों से स्पष्ट रूप से इनकार किया। विशेष रूप से उन्होंने मलार लॉज होटल जाने या आरोपी को डी2 के खिलाफ साजिश करते हुए देखने या सुनने से इनकार किया। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने देखा था कि आरोपी एक कमरे में थे जो अंदर से बंद था जैसा कि पुलिस ने आरोप लगाया था।

111. 40 वें अभियोजन गवाह, अलगप्पन (पीडब्लू-40), जिन्होंने 1989 से 1991 तक मलार होटल, कराईकुडी में प्रबंधक के रूप में काम किया था, ने इनकार किया।

कि वह ए 8 को जानता था। उन्होंने कहा कि वह ए 2 को नहीं जानते थे। उन्होंने कहा कि होटल मलार में ठहरने की सुविधा थी। पुलिस आई और पूछताछ की। उन्होंने कहा कि मलार लॉज होटल में प्रवेश रजिस्टर था। 21.6.1991 पर, रिसेप्शनिस्ट ने एस. एल. में समर्थन किया था। 942 रजिस्टर से। उन्होंने कहा कि रिसेप्शनिस्ट उन व्यक्तियों का विवरण दर्ज करता था जो होटल में आते और रुकते थे। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और अभियोजन पक्ष ने उससे जिरह की। क्रॉस में

जाँच में उसने उसे दिए गए सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने पुलिस को दिए गए अपने बयानों से इनकार किया। कुछ सामने नहीं आया है।

अभियुक्त के अपराध को स्थापित करने के लिए इस गवाह की जाँच से। 112. 41 वें अभियोजन गवाह, डॉ. एस. दिवाकर (पीडब्लू-41), विनायक मेडिकल कॉलेज अस्पताल के फोरेंसिक विज्ञान के प्रोफेसर,

सलेम ने प्रमाणित किया कि उनके द्वारा जांचे गए दांत मानव शरीर के थे। अभियुक्त के अपराध के लिए उसके साक्ष्य की कोई प्रासंगिकता नहीं है।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

113. 42 वें अभियोजन गवाह, राजगोपाल (पीडब्लू-42), मोटर वाहन निरीक्षक ने कहा कि उन्होंने अनुरोध पर लॉरी का निरीक्षण किया था अपराध शाखा के निरीक्षक ने पाया था कि बाईं ओर का बम्पर और ग्रिल जमीन से 2 इंच की ऊंचाई पर थोड़ा नुकीला था। ब्रेक की स्थिति 60 प्रतिशत थी। स्टीयरिंग और टायरों की स्थिति

संतोषजनक थे। उन्होंने कहा कि यह घटना वाहन के यांत्रिक दोष के कारण नहीं हुई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अरंथंगी पुलिस थाने में रखे वाहन में कोई अन्य क्षति नहीं देखी है। उन्होंने कहा कि उन्हें याद नहीं है कि पुलिस निरीक्षक ने 16.2.1991 पर उनकी जाँच की थी या नहीं। इस गवाह को भी शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और अभियोजन पक्ष द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में पीडब्लू-42 ने पुलिस को दिए गए बयानों से इनकार किया। उन्होंने कहा कि लॉरी में छेड़छाड़ का काम किया गया था। दाहिनी ओर की हेडलाइट्स पर 'लुकास' शब्द था लेकिन बाईं ओर एक नई 'डायमंड' लाइट थी। इस प्रकार यह स्पष्ट था कि एक हेडलाइट को बदल दिया गया था। इस गवाह ने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि नुकसान किसी दुर्घटना के कारण हो सकता है। यह गवाह यह याद रखने में असमर्थ था कि अदालत में अभियोजन पक्ष द्वारा उससे पूछे गए सवाल पुलिस द्वारा उसे पूछे गए थे या नहीं।

114. 43 वें अभियोजन गवाह, अनबुचेलियन (पीडब्लू-43), पुलिस उपाधीक्षक, ऊतुकोट्टई, तिरुवल्लूर जिले,

2.1.1991 से 7.9.1991 तक, 25.2.1991 पर अरंथंगी पुलिस स्टेशन में अपराध संख्या 668/1990 में जांच शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि उस समय ए 1, ए 2 और ए 8 फरार थे। ए 8 ने पुदुकोट्टई में सत्र न्यायालय से 26.2.1991 पर अग्रिम जमानत प्राप्त की। पीडब्लू-43 ने कहा कि आईडी1 पर उन्होंने गवाहों मोहम्मद अली जिन्ना, अकबर जॉन, राजू (पीडब्लू-2), साहुल हमीद (पीडब्लू-1) और बशीरा बेगम (पीडब्लू-3) से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 14.3.1991 पर उन्होंने गवाहों से पूछताछ की थी।

भास्करन (पीडब्लू-17) सुंदरेसन, अलगप्पन (पीडब्लू-40), चिदंबरम (पीडब्लू-2), किट्टू @कृष्णमूर्ति (पीडब्लू-12) ने अपने बयान दर्ज किए। जब उन्होंने अलगप्पन (पीडब्लू-40) की जांच की तो उन्होंने पीडब्लू-43 को होटल मलार के बुकिंग रजिस्टर के पेज 54 की एक प्रति दी थी। इस गवाह ने कहा कि वह

इसकी तुलना मूल से की थी। उन्होंने अग्रिम रसीद No.5825 दिनांकित 21.4.1990 और नकद रसीद संख्या 7409 दिनांकित 22.6.1990 की ज़ेरॉक्स प्रतियां दीं।

115. पीडब्लू-43 ने कहा कि 15.31991 पर उन्होंने गवाहों अबू साली और डॉ. उसेन मस्तान (पीडब्लू-22) से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 16.3.1991 पर, उन्होंने डॉ. करुणाकरन, डॉ. शिवसुब्रमण्यम, [2020] 3 एस. सी. आर. की जाँच की थी।

डॉ. मुरुगेसन (पीडब्लू-23) ने उनके बयान दर्ज किए। 18.3.1991 पर, उन्होंने वैज्ञानिक सहायक (पीडब्लू-25), गवाह शिवकुमार की जाँच की थी। आई. डी. 1 पर उन्होंने प्रेम और जयकुमार से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 27.3.1991 पर, उन्होंने गवाह गोएल और नागरी से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। 116. इस गवाह ने कहा कि 24.4.1991 पर, ए 3 और ए 4 को दी गई अग्रिम जमानत को मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था और 29.4.1991 पर दोनों ने न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 2, पुदुकोट्टई के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। उसी दिन, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया, जिसके बाद पुदुकोट्टई की सत्र अदालत ने उन्हें जमानत दे दी। उन्होंने कहा कि विदेश गए अल की उपस्थिति को सुरक्षित करने के लिए,

पुदुकोट्टई के पुलिस अधीक्षक ने पुलिस महानिदेशक, चेन्नई को एक पत्र भेजा था, जिसमें उन्होंने राज्य के गृह सचिव के माध्यम से केंद्र सरकार को संबोधित करते हुए अनुरोध किया था कि अल का पासपोर्ट जब्त कर लिया जाए और उसे भारत वापस लाया जाए। 20.4.1991 पर, पुलिस अधीक्षक ने एक वायरलेस संदेश भेजा

कृष्णमूर्ति ने उन्हें बताया था कि ए 2 उनसे परिचित था और उन्होंने टीएसएल 6579 लॉरी को नेशनल बैटरी वर्क्स, महारनोनबू अग्रहारम, कराईकुडी के पास 24.12.1990 से 27.12.1990 तक खड़ा देखा था। पीडब्लू-12 ने इस गवाह को बताया कि उसने ए 2 से पूछा था कि उसने लॉरी को सड़क पर क्यों रखा था, जिसके बाद ए 2 ने उससे कहा था कि वह ए 1 की लॉरी की बैटरी बदलना चाहता है। ए 2 ने पीडब्लू-12 को बताया था कि लॉरी 2 से 3 दिनों के लिए उसकी हिरासत में होगी। इस गवाह ने कहा कि पीडब्लू 40, अलगप्पन की जाँच 14.3.1991 पर की गई थी।

118. जिरह में पीडब्लू-43 ने स्वीकार किया कि भले ही प्राथमिकी में पी. एल. सुब्बैया, पेरुमल, कुमार, कुलंथैयन और कुछ लोगों के नाम हैं।

अन्य संदिग्धों के रूप में, पीडब्लू-43 ने उनकी जांच नहीं की। उन्होंने कहा कि उन्होंने उनकी जांच नहीं की क्योंकि इंस्पेक्टर, जो पहले जांच के प्रभारी थे, ने उनकी जांच की थी। यह गवाह यह कहने में असमर्थ था कि ऊपर नामित व्यक्तियों से उनके पूर्ववर्ती ने कब पूछताछ की थी।

उन्होंने बशीरा बेगम वी। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

सभी फाइलों को देखे बिना यह याद नहीं कर सका कि व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था या नहीं। उन्होंने कहा कि उन्होंने संबंधित फाइलों को पढ़ने के बाद जांच शुरू की थी। डॉ. उसेन मस्तान (पीडब्लू-22), डॉ. मुरुगेसन, पीडब्लू-11 और पीडब्लू-12 की जाँच उनके पूर्ववर्ती ने की थी। एफआइआर में कहा गया है,

सहायक, वी. ए. ओ. (ग्राम प्रशासनिक अधिकारी) राजेंद्रन (पीडब्लू-20) और ग्राम सहायक करुप्पन की उपस्थिति में। द महाजर पूर्व है। पी-11। इस गवाह ने कहा कि उसने घटना स्थल (एमओ-39) से एक कलाई घड़ी जब्त की थी। उसी दिन उन्होंने रक्त [2020] 3 एस. सी. आर. एकत्र किया था।

दागदार मिट्टी, खून से सना हुआ मिट्टी और मिट्टी का नमूना और एक मजार (एक्स। पी-12)।

121. पीडब्लू-44 ने कहा कि उसने संदिग्ध आरोपी को 30.12.1990,31.12.1990 और 1.1.1991 से 4.1.1991 पर खोजा था। पीडब्लू-44 ने कहा

कि उन्होंने बजाज टी. एन. 55 1406 मोटर बाइक की जब्ती के संबंध में एक विशेष रिपोर्ट भेजी थी और मोटर वाहन निरीक्षक द्वारा उसी के निरीक्षण की व्यवस्था की थी। आई. डी. 1 को, पीडब्लू-44 तिरुचिरापल्ली (त्रिची) गया और दो पुलिस कांस्टेबलों, पी. सी. 1062, सोंडराजन (पीडब्लू-28) और पी. सी. 2993, राजेंद्रन (पीडब्लू-20) और पुलिस कुत्तों के प्रशिक्षकों से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए।

122. पीडब्लू-44 ने गवाही दी कि 12.1.1991 पर, संदिग्ध आरोपी, जिनका नाम प्राथमिकी में है, सुब्बैया, पेरुमल कुमार और कुलंथैयन।

मजिस्ट्रेट, ओरथानाडू के समक्ष आत्मसमर्पण किया और उन्हें हिरासत में लिया गया।

उप-जेल, पुदुकोट्टई। 15.1.1991 पर, पीडब्लू-44 ने पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों की जांच की और उनके बयान दर्ज किए।

123. पीडब्लू-44 ने बताया कि 17.1.1991 पर उन्हें पता चला कि 30.10.1990 पर बालासुंदरम पुत्र दरमलिंगम ने एक लॉरी खरीदी थी

ए-1 से पंजीकरण संख्या टीबी 9635 के साथ। 29.1.1991 PW-44 पर फखरुद्दीन, मारिमुथु की जाँच की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। 2.2.1991 पर, उन्होंने साथिया और पीडब्लू-9 कुप्पुसामी की जाँच की और उनके बयान दर्ज किए।

124. पीडब्लू-44 ने कहा कि 4.2.1991 पर उन्होंने तालुक के सामने राजप्पन और कलियमूर्ति की उपस्थिति में अब्दुल हमीद (ए-3) को गिरफ्तार किया।

125. पीडब्लू 44 ने बयान दिया कि 5.2.1991 पर दोनों अभियुक्तों को रिमांड रिपोर्ट के साथ अदालत में भेजा गया था। 7.2.1991 पर इस गवाह की जाँच की गई पीडब्लू-40 सी. टी. अलगापन ने अपना बयान दर्ज कराया। आईडी1 को दोपहर 1:30 बजे पीडब्लू-44 ने पीडब्लू-19 चित्रवेलु और सी. मरियप्पन की उपस्थिति में ए-5 शेख दाऊद को गिरफ्तार किया और उसका बयान दर्ज किया। उन्होंने इकबालिया बयान के स्वीकार्य हिस्से की पहचान की जो Ex.P7 है।

126. पीडब्लू-44 ने बयान दिया कि वह गवाहों के साथ ए 5 को मनाप्पराई ले गया और लॉरी नं. टीएसएल 6579, जो मनप्पराई में आरवीएस लॉरी ब्रोकर शेड से पीडब्लू-6 चिनप्पू की हिरासत में था। उन्होंने कहा कि मजार में उन्होंने कहा था कि बशीरा बेगम v में पंजीकरण संख्या।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लॉरी के सामने की नंबर प्लेट (एमओ-40) को तोड़ दिया गया और मिटा दिया गया। पीडब्लू-44 ने आगे कहा कि रात 8:30 बजे तक उसने एक मजार (एक्सपी-4 और एक्सपी-9) के तहत पीडब्लू-6 से दो नकद बिल बरामद कर लिए थे। उन्होंने कहा कि उन्होंने गवाहों पीडब्लू-19 चित्रवेलु, मरियप्पन, पीडब्लू-6 बालकृष्णन, पीडब्लू-14 अरोकियाराज, पीडब्लू-8 S.Kumar, पीडब्लू-15 राममूर्ति, पीडब्लू-16 चिन्नासामी से पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए। इसके बाद वह ए5 के साथ अरंथंगी लौट आया और उसे हवालात में डाल दिया। 9.2.1991 पर, उन्होंने रिमांड रिपोर्ट के साथ न्यायिक मजिस्ट्रेट को A5 भेजा।

6579. 15.2.1991 पर, उन्होंने मयिलसामी की जाँच की और अपना बयान दर्ज किया। 16.2.1991 पर, उन्होंने पी. सी. 142 और पी. सी. 638 की जांच की और उनके बयान दर्ज किए। आई. डी. 1 पर, उन्होंने मोटर वाहन के निरीक्षण के संबंध में कलियमूर्ति और राजगोपाल (पी. डब्ल्यू.-42) की जांच की और उनका विवरण दर्ज किया। बयान। उसी दिन, उन्होंने जब्त की गई वस्तुओं को अदालत में भेज दिया। आई. डी. 1 पर इंस्पेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर ने फिर से काम शुरू किया, जिसके बाद उन्होंने आगे की जांच के लिए उक्त इंस्पेक्टर, लॉ एंड ऑर्डर को फाइल सौंप दी।

129. पीडब्लू-44 ने अपने बयान में कहा कि जांच के दौरान पीडब्लू-6 चिन्नाप्पू @बालकृष्णन ने उन्हें बताया था कि 29.12.1990 को सुबह 6:30 बजे।

अल उनके घर आया और उन्हें सूचित किया कि उन्होंने अपने द्वारा खरीदे गए लॉरी को मन्नाप्पराई में अरोक्यम की कार्यशाला में छोड़ दिया है। हालाँकि, पीडब्लू-6 द्वारा इसका खंडन किया गया है। पीडब्लू-6 ने पीडब्लू-44 को बताया कि ए-1 ने उसे बताया था कि लॉरी के हेड लैंप और साइड लाइट टूट गई थी। पीडब्लू-6

पीडब्लू-44 को यह भी बताया कि ए1 ने आवश्यक होने पर कार्यशाला को Rs.100/- दिया था।

मरम्मत। पीडब्लू-44 ने कहा कि पीडब्लू-6 ने उन्हें बताया था कि अल ने पीडब्लू 6 से शेष राशि का भुगतान करने और लॉरी को बेचने और खातों का निपटान करने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। पीडब्लू-44 ने यह भी कहा कि पीडब्लू-6 ने उन्हें बताया था कि ए1 उनके घर [2020] 3 एस. सी. आर. आया था।

दो दिनों के बाद, उसे Rs.25,000/- का भुगतान किया और उसे A5 की मदद से लॉरी बेचने और खातों को समायोजित करने के लिए कहा, क्योंकि उसके विदेश जाने की संभावना थी। पीडब्लू-44 ने कहा कि पीडब्लू-6 ने उन्हें बताया कि उन्होंने रुपये की राशि सौंप दी है। 25,000 / - करूर के मयिलसामी (पीडब्लू-7) तक। पीडब्लू-44 ने अपदस्थ किया कि पीडब्लू-6 ने उसे बताया था कि अगले दिन पीडब्लू-6 वी. आर. एस. लॉरी शेड में रहा और अगली सुबह वह अरोक्यम के घर गया।

कार्यशाला जहाँ लॉरी रखी गई थी और पूछा कि क्या मरम्मत की गई थी। कार्यशाला के लड़के ने उसे बताया कि आवश्यक मरम्मत कर ली गई है। अगले दिन, पीडब्लू-6 कार्यशाला में आया, मरम्मत शुल्क के लिए Rs.75/- का भुगतान किया और एक चालक को नियुक्त करके लॉरी को ले गया। पीडब्लू-44 ने कहा कि पीडब्लू-6 ने उन्हें यह भी बताया था कि ए 5 पीडब्लू-6 से पूछा था कि क्या ए 1 ने पीडब्लू-6 को देखा था और खातों का निपटान किया था। पीडब्लू-44 ने कहा कि ए 5 ने पीडब्लू-6 से लॉरी बेचने की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था। पीडब्लू-44 ने बताया कि पीडब्लू-6 ने उसे बताया था कि पुलिस ए 5 लाई थी और लॉरी को जब्त कर लिया था। पीडब्लू-6 ने पुलिस को Rs.75/- और Rs.50/दोनों दिनांकित 3.1.1991 के 2 नकद बिल सौंपे।

130. पीडब्लू-44 ने कहा कि उन्होंने कुप्पुसामी (पीडब्लू-9) की जांच की थी, जो

उसने उसे बताया था कि वह डी2 और डी1 दोनों को जानता है। पीडब्लू-9 ने पीडब्लू-44 को बताया कि 29.12.1990 पर एक साथिया ने उनसे उनके साथ जाने का अनुरोध किया था।

सिनेमा। देर होने पर दोनों ने एक ही साइकिल चलाई। जब वे दोपहर 10.30 बजे पापनकुलम पहुंचे, तो उन्होंने एक लॉरी को रेगन ले जाते हुए देखा। No.6579

इसलिए लौट आए। लौटते समय पीडब्लू-9 को पेट में दर्द महसूस हुआ और इसलिए वह प्रकृति की पुकार का जवाब देने के लिए टंकी के किनारे चला गया। उस समय तक सड़क के किनारे खड़े लॉरी को अल ने स्टार्ट कर दिया था और उसे अरंथंगी की ओर ले गया था। कुछ ही मिनटों में एम. पी. टी. सी. की एक बस अरसरकुलम रोड पर उन्हें पार कर गई। लौटते समय पीडब्लू-9 ने सड़क पर दो शव पड़े हुए और उनके पास एक मोटर साइकिल पड़ी देखी। हालाँकि, पीडब्लू-9 ने अपने साक्ष्य में इसका स्पष्ट रूप से खंडन किया था। 131. पीडब्लू-44 ने अपदस्थ किया कि जब उन्होंने पीडब्लू-11 राजू की जांच की, तो उन्होंने पीडब्लू-44 को बताया कि उन्हें पता था कि अब्दुल हमीद के बीच दुश्मनी थी

(ए-3) मोहम्मद इब्राहिम (ए 4) और राजा मोहम्मद (डी 2) भूमि पर। वे जफर अली (ए-1) को भी जानते थे। पीडब्लू-44 ने पदच्युत किया कि पीडब्लू-11 ने उसे बताया कि जब पीडब्लू-11 28.12.1990 पर रात लगभग 9 बजे उसकी दुकान में था, तो एक लेलैंड बाशीरा बेगम बनाम।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

लॉरी आई और कट्टुमावाड़ी कोने पर रुकी और जफर अली (ए 1) और 2 अन्य लॉरी से उतरकर एक चाय की दुकान की ओर बढ़े।

पीडब्लू-11 ने पीडब्लू-44 को बताया कि पीडब्लू-11 ने जफर अली (ए 1) को फोन किया था और पूछा था कि क्या उसने एक नया लॉरी खरीदा है। जफर अली (ए 1) ने जवाब दिया कि लॉरी उसके दोस्त की है। जब पीडब्लू-11 ने ए-1 से पूछा कि वे व्यक्ति कौन थे?

ए 1 के साथ, उन्होंने जवाब दिया कि वे कराईकुडी के हैं। पीडब्लू-11

पीडब्लू-44 को बताया कि उन्होंने लॉरी का पंजीकरण संख्या टीएसएल 6579 नोट किया था। पीडब्लू-44 ने अपदस्थ किया कि पीडब्लू-11 ने उसे यह भी बताया था कि वह ए 1 के साथ आए 2 व्यक्तियों में से एक को जानता था, जिसकी उसने पहचान की थी।

132. पीडब्लू-44 ने कहा कि उसने पीडब्लू-13, वी. मारिमुथु की जांच की, जिसने उसे बताया कि 28.12.1990 पर वह अरंथंगी से एक गाड़ी में लौट रहा था। एमपीटीसी बस। लगभग 1 बजे जब बस अरसरकुलम मोड़ के पश्चिम में परवुरानी रोड पर आ रही थी, तो उसने देखा कि उसके गाँव का रहने वाला साथिया खड़ा था और जब बस रेलवे गेट को पार कर पापनकुलम के किनारे के पास जा रही थी, तो उसने देखा कि 2 लोग सड़क पर पड़े हुए थे और उनके बगल में एक मोटर साइकिल पड़ी थी। मुकदमे में साथिया से गवाह के रूप में पूछताछ नहीं की गई है।

133. पीडब्लू-44 ने कहा कि उसकी जांच के दौरान पीडब्लू-12 कित्तू @कृष्णमूर्ति ने उसे बताया था कि जफर अली (ए 1) अपनी मोटर साइकिल की मरम्मत के लिए उसकी कार्यशाला में जाता था, इसलिए वह उसे अच्छी तरह से जानता था। आई. डी. 1 को शाम 6 बजे, जफर अली (ए 1) मरम्मत के लिए अपनी टी. वी. एस. सुजुकी मोटर साइकिल जिसका पंजीकरण आई. डी. 2> 8561 था, लेकर आया था और उसे कार्यशाला में छोड़ दिया था। 1.1.1991 पर, उक्त जफर अली कार्यशाला में आया था और पूछा था कि क्या मरम्मत का काम पूरा हो गया है। यह बताए जाने पर कि मरम्मत में 2 और दिन लगेंगे, जफर अली (ए 1) ने पीडब्लू-12 से वाहन को उस व्यक्ति को सौंपने के लिए कहा जो उसका पत्र लेकर आएगा। आई. डी. 1 पर एक मैकेनिक कुमार एक पत्र लेकर आया और पी. डब्ल्यू.-12 का पत्र देखकर मोटरसाइकिल और पत्र कुमार को सौंप दिया।

बालुसामी (ए 2) और कृष्णन (ए 7) हमीद रोथर के घर ए 3 जाते थे। पीडब्लू-39 इसलिए उन्हें अच्छी तरह से जानते थे। उन्होंने कहा कि पाँच महीने आईडी1 से पहले, जफर अली (ए 1) ने पीडब्लू-39 फारूक, पीडब्लू-10 और एम. अब्दुल जाफर को लॉरी खरीदने के लिए अपने साथ कराईकुडी जाने के लिए कहा था

स्पेयर पार्ट्स अरंथंगी पहुँचने के बाद दाऊद (ए 5) और

इब्राहिम (ए 4) उसके साथ शामिल हो गया और फिर वे मलार लॉज, कराईकुडी गए, जहाँ बालू (ए 2), अब्दुल हमीद (ए 3), बशीर अली, कृष्णन (ए 7), उंजनाई रामासामी (ए 8) भी थे। उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया और उनके पास एक [2020] 3 एस. सी. आर. था।

चर्चा करें। पीडब्लू-39 ने पीडब्लू-44 को बताया कि जफर अली, अब्दुल हमीद, मोहम्मद इब्राहिम और शेख दाऊद ने राज मोहम्मद (डी2) के बारे में बुरा बोला और उसकी हत्या करने का फैसला किया। जफर अली ने कहा कि वह राज मोहम्मद को एक लॉरी से मारकर मार देगा, जिसके लिए उसे सहायता की आवश्यकता है। उंजनाई रामासामी ने बालू और कृष्णन को जाफर अली की सहायता करने के लिए कहा। साजिश दोपहर 10.30 बजे हुई जिसके बाद वे तितर-बितर हो गए। पीडब्लू-44 ने कहा कि पीडब्लू 39 उसे बताया कि पीडब्लू-39 पूरी रात नहीं सोया। अगली सुबह पीडब्लू-39 और पीडब्लू-10 अब्दुल जाफर अब्दुल हमीद के घर गए। फारूक अली ने अब्दुल हमीद को बताया कि वे जाफर अली के अनुरोध पर कराईकुडी गए थे। सभी ने डी2 को मारने की साजिश रची। अब्दुल हमीद ने उनसे कहा कि वे इस बात को किसी को न बताएँ। हालाँकि, पीडब्लू-39 ने पुलिस को इस तरह के बयान देने से इनकार किया और उसे शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया।

135. पीडब्लू-44 ने कहा कि उन्होंने पीडब्लू-40 अलगप्पन की जांच की थी,

मालार लॉज होटल के प्रबंधक, जिन्होंने उन्हें बताया था कि 21.6.1990 पर उंजनी रामासामी कमरा No.401 बुक करने के लिए लॉज में आए थे और रजिस्टर में प्रविष्टियां की थीं। जब अलगप्पन ने उनसे पूछा कि वह एक कमरा क्यों आरक्षित कर रहे हैं, तो रामासामी ने जवाब दिया था कि एक पंचायत होगी और

136. जिरह में पीडब्लू-44 ने कहा कि घटना स्थल का निरीक्षण करने के बाद उनका विचार था कि मृत पड़े व्यक्तियों को ऐसा करना चाहिए। उनकी हत्या कर दी गई है और उन्होंने उसी आधार पर अपनी जांच जारी रखी। पीडब्लू-44 ने कहा कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों की जांच से पहले ही पीडब्लू-44 इस निष्कर्ष पर पहुंच गया था कि मृतक की हत्या की गई थी। डॉक्टरों की जाँच के बाद पीडब्लू-44 निश्चित हो गया। उन्होंने इस आधार पर जांच शुरू की कि मामला हत्या का था। मुमताज बेगम का परीक्षण करने के बाद, वह फाइनल में पहुंचे

यह निष्कर्ष निकालना कि मृतक व्यक्तियों की हत्या कर दी गई थी। उन्होंने 4.2.1991 पर आई. पी. सी. की धारा 120 बी के अपराध को जोड़ा। उन्होंने कहा कि पीडब्लू-39 फारूक और पीडब्लू-10 अब्दुल जाफर की जांच करने के बाद उन्हें पता चला कि हत्या के पीछे एक साजिश थी, जो कराईकुडी के मलार लॉज होटल में हुई थी। उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-39 और पीडब्लू-10 दोनों ने इसका खंडन किया और उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया। पीडब्लू-44 ने कहा कि जब उसने आरोपी को गिरफ्तार किया और उसका इकबालिया बयान दर्ज किया, तो ग्राम प्रशासनिक अधिकारी और उसके संबंधित सहायक ने गवाह के रूप में हस्ताक्षर किए। किसी भी अनिच्छुक और/या स्वतंत्र गवाह से कोई हस्ताक्षर प्राप्त नहीं किया गया था। केस फाइल पीडब्लू-44 में यह नहीं कहा गया है कि नहीं स्वतंत्र गवाह इकबालिया बयान पर हस्ताक्षर करने के लिए आगे आया था। पीडब्लू-44 ने कहा कि उसने पुलिस उपनिरीक्षक सेतु से पूछताछ नहीं की थी।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

पीडब्लू-1 की शिकायत के आधार पर धारा 302 के तहत। पीडब्लू-44 ने इस सुझाव का खंडन किया कि उन्होंने पीडब्लू-1 और उनके समर्थकों के आदेश पर जांच की थी। 137. 45 वें अभियोजन गवाह, कलेराज, पुलिस निरीक्षक (पीडब्लू-45) ने कहा कि वह पुलिस निरीक्षक, अपराध शाखा, पुदुकोट्टई रहे थे और उन्हें जानकारी मिली थी कि अरंथंगी पुलिस स्टेशन की आई. पी. सी. की धारा 162 और 120 बी के तहत मामला अपराध संख्या 668/1990 को जांच के लिए दूसरे जांच अधिकारी को स्थानांतरित कर दिया गया है। 15.7.1992 पर, पीडब्लू-45 को जाँच जारी रखने के लिए डी. जी. पी. दिनांक 16.6.1992 का आदेश प्राप्त हुआ था, जिसके बाद उन्होंने मामले की फाइलें प्राप्त कीं और आदेश के अनुसार जाँच जारी रखी। पीडब्लू-45 ने बयान दिया कि 25.7.1992 पर पीडब्लू-45 ने घटना स्थल का निरीक्षण किया, शिकायतकर्ता की जांच की और ए 1 और ए 2 की खोज की। 1.9.1992 से 28.12.1992 तक, उन्होंने A1 और A2 के बारे में जानकारी एकत्र की और उन्होंने अपने वरिष्ठ अधिकारियों के माध्यम से बहरीन से A1 और सिंगापुर से A2 की भारत वापसी की सुविधा के लिए रिपोर्ट भेजी।

138. इस गवाह ने कहा कि आईडी1 पर उसने मीरा, बशीरा बेगम (पीडब्लू-3), मुमताज बेगम, राजा, दुरई और करुप्पन से पूछताछ की थी लेकिन

उन्होंने उनके बयान दर्ज नहीं किए थे। <आईडी1 पर, उन्होंने डॉ. हुसैन मस्तान (पीडब्लू-22), डॉ. मुरुगेसन (पीडब्लू-23), फखरुद्दीन, मणिमुथु, साथिया और कुप्पुसामी (पीडब्लू-9) की जांच की थी। आईडी1 पर उन्होंने भास्करन (पीडब्लू-17), अलगप्पन (पीडब्लू-40), सुंदरेसन, चिदंबरम (पीडब्लू-21), राजेंद्रन (पीडब्लू-20) और चोकलिंगम की जांच की थी। आईडी1 पर उन्होंने चित्रवेलु (पीडब्लू-19), मरियप्पन, चिदंबरम (पीडब्लू-21), रामनाथन, राजू (पीडब्लू-4) और चेलप्पन की जांच की थी। 12.7.1993 पर, वह करूर गए थे और मयिलसामी (पीडब्लू-7) की जाँच की थी। 14.7.1993 पर वह पी. सोंडराजन (पीडब्लू-28), राजेंद्रन (पीडब्लू-20), डॉ. राधा कृष्णन (पीडब्लू-24), अरोक्य राज (पीडब्लू-14), कुमार (पीडब्लू-8), राममूर्ति (पीडब्लू-15) और चिन्नासामी (पीडब्लू-16) की जांच की गई थी। 15.7.1993 पर उन्होंने जाँच की थी

अमजद, चिन्निया, सुब्रमण्यन, अबू साली। आई. डी. 1 पर उन्होंने राजू (पी. डब्ल्यू.-4), महालिगम, राजप्पा, बालकृष्णन (पी. डब्ल्यू.-6) और कलियमूर्ति की जांच की थी। आई. डी. 1 पर उन्होंने अनिवासी भारतीय फातिमा का परीक्षण किया और उनका बयान दर्ज किया। 30.8.1993 पर उन्होंने न्यायिक मजिस्ट्रेट, अरंथंगी की अदालत में दस्तावेजों की प्रतियों के लिए आवेदन किया था। उन्होंने दस्तावेजों को पढ़ा और एक मोटा आरोप पत्र तैयार करने के लिए लोक अभियोजक को मामला सौंप दिया। 3.11.1993 पर उन्होंने लोक अभियोजक के कार्यालय से प्राप्त मोटे आरोप पत्र को [2020] 3 एस. सी. आर. को प्रस्तुत किया।

सीबीसीआईडी अधीक्षक। आई. डी. 1 पर उन्होंने डॉ. त्यागराजन (पीडब्लू-27), एस. आई. सेतु (पीडब्लू-32) की जांच की और उनके बयान दर्ज किए। 139. जिरह में इस गवाह ने कहा कि उसके द्वारा जाँच शुरू होने की तारीख से मामले की फाइलें उसके पास थीं।

आज तक। उन्होंने एस. आई. सेतु (पीडब्लू-32) से पूछताछ की थी, जिन्हें शिकायत मिली थी और अपराध संख्या 668/1990 होने के कारण मामला दर्ज किया था। इस गवाह ने सेतु से यह नहीं पूछा था कि उसने प्रारंभिक चरण में ही आई. पी. सी. की धारा 307 के तहत मामला क्यों दर्ज किया था। इस गवाह ने कहा कि उसने साजिश के बारे में पीडब्लू-39 फारूक और पीडब्लू-10 से पूछताछ नहीं की थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि उन्होंने पीडब्लू-1 साहुल हमीद का समर्थन किया था क्योंकि वह सत्तारूढ़ दल से थे और साजिश के अपराध में ए 2 से ए 8 को फंसाने के लिए मिलीभगत की थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन गवाहों के बयान दर्ज किए हैं जो उनके पास थे।

जाँच की गई और उन लोगों की नहीं जिनकी पहले जाँच की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने फातिमा बीवी की जांच की और उनका बयान दर्ज किया। उन्होंने कहा कि उन्होंने उन गवाहों के बयान दर्ज नहीं किए हैं जिनसे पहले पूछताछ की गई थी और जिनसे उन्होंने फिर से पूछताछ की थी। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि आरोप पत्र दायर होने तक उन्होंने ए 2 नहीं देखा था। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि साजिश के समय ए 2 भारत में नहीं था।

140. जैसा कि ऊपर बताया गया है, अभियुक्त की ओर से बचाव पक्ष के किसी गवाह से पूछताछ नहीं की गई थी। सभी अभियुक्तों ने खुद को प्रस्तुत किया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत परीक्षा। उन्होंने अपने अपराध से इनकार किया और खुद को निर्दोष बताया।

141. अभियोजन पक्ष को उचित संदेह से परे यह साबित करने की आवश्यकता थी कि ए 1 से ए 8, ए 1, ए 2 और ए 3 के बीच एक साजिश के अनुसार डी2 और डी1 की हत्या की गई। ए 1 ने अपनी लॉरी No.TSL 6579 चलाते हुए मोटर साइकिल को टक्कर मार दी, जिस पर डी2 और डी1 सवार थे, और उसके बाद ए-2 और ए-7 ने उन्हें लोहे की छड़ से पीट-पीटकर मार डाला।

मोटरसाइकिल नं. पर अरंथंगी की ओर। टी. एन. 55/1406 उनके पिता के स्वामित्व में, ए-4, पिलियन पर डी1 के साथ। दोनों को सड़क पर मृत अवस्था में, खून से लथपथ, लेवल क्रॉसिंग से कुछ फर्लांग की दूरी पर देखा गया था।

सरयनेन्थल, पप्पाकुलम और उनकी मोटरसाइकिल पास में पड़ी थी।

143. पीडब्लू-22 और पीडब्लू-23 का साक्ष्य, जिन्होंने प्रदर्शन किया

क्रमशः डी2 और डी1 के शवों की पोस्टमॉर्टम जांच से यह साबित होता है कि डी2 और डी1 दोनों की मौत चोटों और परिणामस्वरूप रक्त और सदमे के नुकसान से हुई थी।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

144. पीडब्लू-22 और पीडब्लू-23 के साक्ष्य से, दो पद हैं

पोस्टमार्टम डॉक्टरों और पीडब्लू-1, पीडब्लू-20, पीडब्लू-24, पीडब्लू-25 और पीडब्लू-35 के साक्ष्य से यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि मोटरसाइकिल, जिस पर मृतक सवार थे, और किसी अन्य वाहन के बीच टक्कर हुई थी। घटनास्थल से टूटे हुए कांच और प्लास्टिक के टुकड़े बरामद किए गए घटना इस बात की पुष्टि करती है कि टक्कर हुई थी। हालाँकि, कोई ऑक्युलर सबूत नहीं होने के कारण, यह ज्ञात नहीं है कि टक्कर आमने-सामने थी या मोटर साइकिल को पीछे से मारा गया था। इस संबंध में कोई विशेषज्ञ राय भी नहीं है।

145. पीडब्लू-22 का साक्ष्य इंगित करता है कि डी2 उसके शरीर से गिर गया था।

मोटरसाइकिल एक टक्कर के बाद सख्त जमीन पर, और एक वाहन द्वारा कुचल दिया गया। हो सकता है कि उसने एक ठोस कुंद वस्तु को भी मारा हो। कुछ चोटें टक्कर या गिरने के प्रभाव के कारण और अन्य भाग जाने के कारण हुईं। पोस्टमॉर्टम डॉक्टर ने कहा कि डी2 के शव पर एम. ओ. 23 रॉड से टकराने का कोई आभास नहीं था।

146. हालाँकि, इस गवाह ने कहा कि यह भी संभव था कि डी2 को मारने से कुछ घातक चोटें लगी हों। MO.23 के समान एक छड़ के साथ कठोर। डी2 के शरीर में चोटों के कारण पर पोस्टमॉर्टम डॉक्टर, पीडब्लू-22 की राय निर्णायक नहीं है। अभियोजन पक्ष यह स्थापित करने में सक्षम नहीं है कि डी2 को रॉड से पीट-पीटकर मार दिया गया था।

147. इसी तरह, पीडब्लू-23 ने राय दी कि डी1 की मृत्यु सिर, मस्तिष्क और शरीर के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में लगी चोटों के कारण हुई है, जो किसी अन्य वाहन के साथ मोटरसाइकिल की टक्कर के परिणामस्वरूप हुई है।

आघात और रक्तस्राव। यह संभावना है कि एक तेज गति से चलने वाले वाहन के साथ टक्कर के प्रभाव से डी1 मोटरसाइकिल से नीचे गिर गया हो सकता है, जिस पर वह पीछे बैठा हुआ था, और वह कठोर जमीन पर गिर गया हो या किसी कठोर वस्तु से टकरा गया हो। हो सकता है कि वह भी भाग गया हो।

148. पीडब्लू-23 ने कहा कि तत्काल मौत का कारण बनने वाली चोटों में से एक एमओ-23 के समान छड़ से लगी हो सकती है, लेकिन उसके क्रूस में

जाँच में उन्होंने कहा कि चोट/चोट दो वाहनों के बीच टक्कर के परिणामस्वरूप हो सकती है। डी1 को मोटर साइकिल से फेंके जाने और कठोर जमीन या किसी कुंद वस्तु से टकराने या किसी वाहन द्वारा कुचले जाने से चोट/चोट लग सकती है। डी1 के शरीर में चोटों के कारण पर पीडब्लू-23 की राय भी निर्णायक नहीं है।

149. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और पोस्टमॉर्टम डॉक्टरों के मौखिक साक्ष्य के सावधानीपूर्वक विश्लेषण पर, हम यह संभावना नहीं पाते हैं कि मृतक [2020] 3 एस. सी. आर.

उन्हें लोहे की छड़ से पीट-पीटकर मार डाला गया। पीडब्लू-22 की राय थी कि डी2 टक्कर के बाद मोटर साइकिल से गिर गया और भाग गया। अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि मृतक को पीट-पीटकर मार दिया गया था एक छड़ी के साथ। अभियोजन पक्ष किसी अज्ञात वाहन से जुड़ी 'हिट एंड रन' दुर्घटना में डी1 और डी2 के मारे जाने की संभावना से भी इंकार नहीं कर सका है।

150. इसमें अंतर्निहित असंभवताएँ और विसंगतियाँ भी हैं।

सबूत जो अभियोजन पक्ष के मामले को ध्वस्त करता है कि मृतकों को ए 2 और ए 7 द्वारा लोहे की छड़ से पीट-पीटकर मार दिया गया था। यह कोई कारण नहीं है कि ए 2 और ए 7 को लॉरी से उतरने और डी2 और डी1 को लोहे की छड़ से पीटने का जोखिम क्यों उठाना चाहिए था, जब ए 1 ने अपने लॉरी को उनके मोटर साइकिल से टकरा दिया था, उन्हें गंभीर रूप से घायल कर दिया था और कम से कम एक (डी2) को दौड़ाया था, यदि दोनों नहीं तो दोनों। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि आरोपी का डी1 को मारने का कोई मकसद था।

151. इसके अलावा, यह आरोप लगाया जाता है कि ए 2 और ए 7 ने दोनों मृतकों को लोहे की छड़ से मारा था, लेकिन कथित तौर पर केवल एक लोहे की छड़ बरामद की गई है

घटना के एक महीने बाद एक खुले, आसानी से सुलभ तालाब से

गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने ए 7 का कथित स्वीकारोक्ति। किसी अन्य लोहे की छड़ के साक्ष्य में कोई फुसफुसाहट नहीं है। पीडब्लू-29, एकमात्र गवाह जिसने गवाही दी कि ए 2 ने अपने बयान में पुलिस के सामने स्वीकारोक्ति दी

उपस्थिति में, पुलिस को मांगुडी ले गए और लोहे की छड़ को बाहर निकाला

उनकी उपस्थिति में तालाब, यह भी याद नहीं कर सका कि तालाब में पानी था या नहीं। न ही वह ए 7 की पहचान कर सका। छड़ को कभी भी फोरेंसिक जांच के लिए नहीं भेजा गया था। पीडब्लू-29 या उस मामले में किसी अन्य गवाह की गवाही के आधार पर ए 2 या ए 7 को दोषी ठहराना खतरनाक होगा। ए 2 और ए 7 को उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी करने में हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।

152. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। अभियोजन

टूटे हुए कांच के टुकड़े, टूटे हुए प्लास्टिक के टुकड़े, घटना स्थल से जब्त किए गए पेंट स्क्रैपिंग के साथ-साथ टीएसएल 6579 नंबर वाली लॉरी की नंबर प्लेट, बल्ब के साथ एक संकेतक और आंशिक रूप से नारंगी रंग की वस्तु। और आंशिक रूप से पारदर्शी प्लास्टिक आवरण, बल्ब और आवरण के बिना एक संकेतक, दीपक और पीले कांच के आवरण के साथ 14.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार दीपक और बिना दीपक और आवरण के 14.5 सेमी व्यास का एक गोलाकार दीपक धारक।

153. पीडब्लू-6, पीडब्लू-7 और पीडब्लू-17 के साक्ष्य केवल यह स्थापित करते हैं कि ए 1 ने लॉरी नं. दलालों पीडब्लू-6 और पीडब्लू के माध्यम से टीएसएल 6579 7 घटना से लगभग 7/8 दिन पहले ए 5 और ए 6 की सहायता से। घटना से लगभग चार दिन पहले, लॉरी को बैटरी चार्ज कराने के लिए कराईकुड्डी नेशनल बैटरी कंपनी में लाया गया था।

चूँकि बैटरी को बदलने की आवश्यकता थी, लेकिन एक नई बैटरी स्टॉक में नहीं थी, इसलिए लॉरी में एक सर्विस्ड बैटरी लगाई गई थी, जिसे कभी वापस नहीं किया गया।

154. उल्लेखनीय रूप से, पीडब्लू-6 के साक्ष्य से पता चलता है कि अल ने पहले,

मालार लॉज होटल में कथित साजिश से बहुत पहले 21.6.1990 पर पंजीकरण संख्या TDB 9635 के साथ एक लॉरी खरीदी गई थी, जिसके लिए A5 गारंटर था। यह लॉरी कथित साजिश की तारीख के लगभग चार महीने बाद अक्टूबर, 1990 में कुछ समय के लिए बेची गई थी, और दो महीने से भी कम समय में, दिसंबर, 1990 को या उसके आसपास, लॉरी No.TSL 6579 को बेची गई थी।

155. उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य के साथ-साथ पीडब्लू-8, पीडब्लू-14, पीडब्लू-15, पीडब्लू-16 और पीडब्लू-17 के साक्ष्य से यह पता चलता है कि लॉरी को मन्नपराई में अरोक्यम की कार्यशाला में 29.12.1990 पर लाया गया था। छोटी मरम्मत। मरम्मत के बाद पीडब्लू-6 ने उसी की डिलीवरी ली और इसे ए 7 के कार्यालय के पास एक लॉरी शेड में छोड़ दिया, जिसने लॉरी को ए 6 के माध्यम से एएल को बेच दिया था। पीडब्लू-14, कार्यशाला के मालिक को पदच्युत कर दिया गया

उस पीडब्लू-6 ने उसे एक छोटे से डेंट की मरम्मत करने का निर्देश दिया था। पीडब्लू-6 या पीडब्लू-7 के साक्ष्य में लॉरी को डी2 और डी1 की मौत से जोड़ने के लिए कुछ भी नहीं है। संयोग से, पीडब्लू-6 ने कहा कि उसने अल को 20.12.1991 के बाद नहीं देखा था,

जिसके बाद उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और उनसे जिरह की गई। पीडब्लू-6 ने कहा कि पुलिस ने लॉरी को जब्त कर लिया है। 156. अपीलार्थियों द्वारा आरोग्यम की कार्यशाला के एक कर्मचारी पीडब्लू-8 के साक्ष्य पर बहुत जोर दिया गया है, जिसने बयान दिया कि 1990 में एक सुबह 4 बजे से पहले मरम्मत के लिए एक लॉरी को कार्यशाला में लाया गया था। पीडब्लू-8 यह नहीं कह सका कि पंजीकरण [2020] 3 एस. सी. आर. क्या था।

लॉरी का नंबर। हालाँकि, उन्होंने कहा कि ए 1, लॉरी को उसका चालक होने का दावा करते हुए लाया था। पीडब्लू-8 ने यह भी कहा कि अल ने उसे बताया था कि लॉरी को एक बैल ने टक्कर मार दी थी।

157. इस गवाह के साक्ष्य में गंभीर कमी है जिसे ऐसा लगता है कि पढ़ाया गया था। यह अविश्वसनीय है कि यह गवाह अल को पहचानने और पहचानने में सक्षम होना चाहिए जिसे वह स्पष्ट रूप से नहीं जानता था, और वह भी जब उसने उसे केवल एक बार देखा था, सुबह 4 बजे से पहले, अपनी नींद से जागने पर। यदि पीडब्लू-8 ए 1 को पहले से जानता होता, तो अल के लिए यह आवश्यक नहीं होता कि वह खुद को पीडब्लू-8 से लॉरी नंबर 8 के चालक के रूप में पेश करे। टीएसएल 6579। इसके अलावा, पीडब्लू-8 ने अपने साक्ष्य में यह नहीं कहा है कि उसने अल को पहचाना था क्योंकि वह उसे पहले से जानता था।

158. पीडब्लू-8 के साक्ष्य में अन्य उल्लेखनीय विसंगतियां हैं। उन्होंने कहा कि आम तौर पर एक नौकरी कार्ड तब तैयार किया जाता है जब एक लॉरी को मरम्मत के लिए लाया जाता है। इस मामले में कोई जॉब कार्ड तैयार नहीं किया गया था क्योंकि जब लॉरी लाई गई थी तो वह सो रहा था। जिरह में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति लॉरी लाया था वह दोपहर तक उनके साथ था। यह स्पष्ट रूप से साक्ष्य में एक सुधार था, प्रतिपरीक्षा में, यह समझाने के लिए कि वह ए 1 को कैसे पहचान सकता था। 159. इस गवाह के साक्ष्य के माध्यम से और पीडब्लू संख्या के माध्यम से। पीडब्लू-8, पीडब्लू-25 और पीडब्लू-35 अभियोजन ने लॉरी नं. टीएसएल 6579 से डी1 और डी2 की मृत्यु तक। पीडब्लू-14 के साक्ष्य के साथ पढ़े गए पीडब्लू-8 के साक्ष्य से अभियोजन पक्ष ने यह दिखाने की कोशिश की है कि अल मरम्मत के लिए लॉरी को सुबह जल्दी ले आया था।

4.00 ए. एम. 29.12.1990 पर यह सुझाव देते हुए कि लॉरी पिछली रात हुई घटना में शामिल थी, जिसका कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं है। लॉरी की बाईं ओर क्षतिग्रस्त हो गई। यह अपने आप में लॉरी और घटना के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं करता है। संयोग से, इस गवाह ने यह भी कहा कि अल ने उसे बताया था कि लॉरी को एक बैल ने टक्कर मार दी थी। यह बताने के लिए कोई सबूत नहीं है कि लॉरी टीएसएल 6579 पर जो नुकसान पाया गया था, वह बैल के कारण नहीं हो सकता था।

160. पीडब्लू 11,12 और 13 सभी को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था। लॉरी नं. को जोड़ने के लिए उनकी प्रतिपरीक्षा से कुछ भी सामने नहीं आया है। टीएसएल 6579 के साथ

डी2 और डी1 की मृत्यु। पीडब्लू-11 ने कहा कि वह ए 1, ए 3 या ए 4 को नहीं जानता था। उन्होंने पहले कभी ए 7 नहीं देखा था। उन्होंने ए 1 और दो अन्य को लॉरी से उतरते और चाय की दुकान पर जाते हुए देखने से इनकार किया। पीडब्लू-12 ने कहा कि घटना के दिन वह शहर में नहीं थे। वह एक बशीरा बेगम वी खरीदने के लिए पांडिचेरी गए थे।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

गाड़ी। उन्होंने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि नेशनल बैटरी वर्क्स के पास 24.12.1990 से एक लेलैंड लॉरी खड़ी की गई थी, जो बयान, भले ही दिया गया हो, लॉरी को 28.12.1990 पर हुई घटना से नहीं जोड़ता है। इस गवाह ने ए 2 को देखने या उससे बात करने से भी इनकार किया। पीडब्लू-13 ने कहा कि उन्होंने कुछ स्थानों पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

दस्तावेजों के रूप में पुलिस ने उसे ऐसा करने के लिए कहा।

वापस आकर उन्होंने देखा कि लॉरी टीएसएल 6579 को मरम्मत के लिए उनकी कार्यशाला में रखा गया था। पीडब्लू-6 ने उनसे लॉरी की मरम्मत करने का अनुरोध किया था। लॉरी के सामने बाईं ओर एक छोटा सा डेंट था, और बोल्ट और नट ढीले थे। मरम्मत की गई। लेकिन, कोई भी लॉरी लेने नहीं आया। 4 या 5 दिनों के बाद वह त्रिची के एक बस स्टैंड पर पीडब्लू-6 से मिले और उन्हें बताया कि लॉरी की मरम्मत कर ली गई है। पीडब्लू-6 बकाया मरम्मत शुल्क का भुगतान करने के बाद लॉरी को ले गया। इस गवाह ने यह नहीं कहा कि लॉरी को सुबह 4 बजे कार्यशाला में छोड़ दिया गया था। छठा और सातवां अभियोजन गवाहों ने केवल लॉरी संख्या के लिए उनके द्वारा जारी नकद ज्ञापनों/बिलों की पहचान की। टी. एस. एल. 6579 और पुष्टि की, अपदस्थ किया कि उन्होंने उन नकद ज्ञापनों/बिलों के तहत एक लॉरी के सामने की ओर साइड लाइट/लैंप बेचे थे।

162. पीडब्लू-25 ने केवल यह कहा कि लॉरी के बाईं ओर नं। टी. एस. एल. 6579 को काले और लाल रंग की हल्की परत के साथ छेड़छाड़ की गई थी। पीला रंग।

दाहिनी ओर प्रकाश अच्छी स्थिति में पाया गया। बाईं ओर की पीली बत्ती टूटी हुई पाई गई। हालाँकि, नकद ज्ञापनों से संकेत मिलता है कि बल्ब और साइड लाइट्स 3.1.1991 पर बेचे गए थे। आरोग्यम (पीडब्लू-14) ने अपदस्थ किया कि मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद लॉरी को पीडब्लू-6 को सौंप दिया गया था। लॉरी को 8.2.1991 पर पीडब्लू-7 के कार्यालय के पास लॉरी शेड से जब्त किया गया था। पीडब्लू-42 के साक्ष्य से पता चलता है कि लॉरी में डेंट थे और विशेष रूप से सामने की ग्रिल में। यदि 9.2.1991 पर लॉरी की कोई साइड लाइट या लैंप क्षतिग्रस्त हो गए थे या लॉरी का कोई हिस्सा क्षतिग्रस्त पाया गया था, तो नुकसान बाद में हुआ होगा। कांच के टुकड़ों, प्लास्टिक की तुलना करके लॉरी को घटना से जोड़ने का प्रयास किया गया

टुकड़े, पेंट स्क्रैपिंग आदि। जिरह में, पीडब्लू-25 यह भी नहीं बता सका कि घटना स्थल पर पाए गए कांच के टुकड़े थे या नहीं।

लॉरी, बस या कार से। वह निर्णायक रूप से यह नहीं कह सके कि घटना स्थल पर पाए गए पेंट स्क्रैपिंग लॉरी नं. टीएसएल 6579। [2020] 3 एस. सी. आर. के स्थान से बरामद किए गए कांच और प्लास्टिक के टुकड़ों की चौड़ाई, मात्रा, गुणवत्ता आदि का कभी कोई तुलनात्मक विश्लेषण नहीं किया गया।

लॉरी पर पाए जाने वाले साइड लाइट, इंडिकेटर या हेडलाइट कवर के साथ घटना, जैसा कि पीडब्लू-25 द्वारा स्वीकार किया गया है।

163. यहां तक कि यह तर्क देते हुए भी कि लॉरी टीएसएल 6579 को मामूली डेंट और टूटी हुई साइड लाइट या लैंप के साथ मरम्मत के लिए कार्यशाला में लाया गया था और घटना स्थल पर कुछ टूटे हुए कांच के टुकड़ों का रंग साइड लाइट और या लॉरी के संकेतकों के रंग से मेल खाता है, जो उसी घटना में लॉरी की संलिप्तता साबित नहीं करता है। कई गाड़ियों में एक ही तरह के लैंप/इंडिकेटर कवर होते हैं। इसके अलावा लॉरी को दूसरे हाथ से खरीदा गया था और ए 1 को डिलीवरी के समय लॉरी की स्थिति का कोई सबूत नहीं है।

164. उल्लेखनीय है कि दुर्घटना 28/29.12.1990 की रात को हुई थी। साक्ष्य के आधार से पता चलता है कि लॉरी 4 से 5 दिनों से कार्यशाला में पड़ी थी। मरम्मत का काम पूरा हो चुका था। बल्बों और साइड लाइटों के संबंध में बिल/नकद ज्ञापन दोनों

165. किसी भी मामले में, यहां तक कि तर्क के लिए यह मानते हुए कि लॉरी नं। टीएसएल 6579 वह लॉरी थी, जिसने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी थी। जिस पर मृतक सवार थे, और मृतक के ऊपर से भाग गए, जो अपने आप में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत किसी भी आरोपी को दोषी नहीं ठहरा सकता है। यह स्थापित करने के लिए कोई सबूत नहीं है कि ए 1, ए 2 या ए 7 लॉरी में थे, सिवाय पुलिस की उपस्थिति में ए 7 के कथित अतिरिक्त न्यायिक स्वीकारोक्ति के, जिसे चर्चा किए गए कारणों के लिए स्वीकार नहीं किया जा सकता है। केवल यह तथ्य कि अल लॉरी चला रहा था, यह भी स्थापित नहीं करता है कि उसने हत्या की थी।

166. हत्या के उद्देश्य को स्थापित करने के लिए अभियोजन पक्ष ने ए 3 और डी2 के बीच शत्रुता और विवादों का मामला बनाने की कोशिश की है।

अल और ए 3 और डी2 के बीच। ए 3 को एफ. आई. आर. में संभावित संदिग्ध के रूप में नामित किया गया था। डी2 और ए-3 के बीच दुश्मनी हो सकती है, लेकिन घटना स्थल पर ए-3 नहीं था। अभियोजन पक्ष का मामला यह नहीं है कि ए 3 ने हत्या की है। डी2 और डी1 की हत्या में उसकी संलिप्तता का कोई सबूत नहीं है। किसी भी मामले में, उसका डी1 को मारने का कोई मकसद नहीं हो सकता था। इसके अलावा, पीडब्लू-1 के साक्ष्य से संकेत मिलता है कि ए 3 के साथ विवादों से जिला कलेक्टर के हस्तक्षेप से समझौता किया गया था।

बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

168. डी2 और उनके पिता ए 4 के बीच अंतर के कुछ प्रमाण हैं। डी2 की विधवा पीडब्लू-3 ने अपदस्थ कर दिया कि डी2 और उसके पिता ए 4 के बीच लगभग 2 वर्षों से बातचीत नहीं हो रही थी, क्योंकि ए 4 डी2 की मांग के अनुसार पारिवारिक संपत्तियों का विभाजन करने या अपने पेट्रोल को कम करने के लिए सहमत नहीं था। बंक से डी2 तक।

169. ए 4 ने पुलिस में भी शिकायत की थी। विवाद यह था कि

जाहिरा तौर पर पीडब्लू-29 की सलाह पर 30.4.1990 पर समझौता किया गया, और डी2 ने संपत्ति के मामलों पर अपने पिता के साथ झगड़ा नहीं करने का वादा किया। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने इस तरह के वादे का उल्लंघन किया है।

170. यह मानते हुए भी कि पारिवारिक संपत्तियों के विभाजन की डी2 की मांग को लेकर डी2 और उनके पिता ए 4 के बीच कुछ मतभेद थे,

जिसे ए 4 ने स्वीकार नहीं किया, ए 4 के लिए अभियोजन द्वारा अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रचने का कोई ठोस कारण नहीं बताया गया है।

171. परिवार के सदस्यों के बीच संपत्ति विवाद असामान्य नहीं है। परिवार के सदस्यों के बीच झगड़ा भी हो सकता है। वे कर सकते हैं

बात करने की शर्तों पर न रहें। हालाँकि, अपने ही बेटे की हत्या की साजिश रचने के लिए एक पिता के उद्देश्य को जिम्मेदार ठहराने के लिए, अधिक सम्मोहक कारण होने चाहिए। अभियोजन पक्ष द्वारा बनाया गया मामला अटकलबाजी और अप्रमाणित है।

172. किसी भी मामले में, यह अभियोजन पक्ष का मामला नहीं है कि या तो ए 3 या ए 4 ने हत्या को अंजाम दिया, या यहाँ तक कि हत्या के स्थान पर मौजूद भी था।

घटना। इसके अलावा, यह किसी का मामला नहीं है कि ए 2, ए 5, ए 6, ए 7 और

173. अभियुक्त को फंसाने के लिए, अभियोजन पक्ष ने मालार लॉज होटल में सभी अभियुक्तों द्वारा एक लॉरी का उपयोग करके डी2 को टक्कर मारने की साजिश रचने का मामला पेश किया है। 174. अभियोजन पक्ष यह साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है कि मलार लॉज होटल, कराईकुडी या कहीं और डी2 को मारने की कोई साजिश थी। श्री तुलसी का यह कहना कि इस बात के सबूत हैं कि 21.6.1990 पर आरोपी ने मलार लॉज होटल, कराईकुडी में एक कमरा बुक किया था और एक लॉरी की मदद से डी2 को मारने की साजिश रची थी, कायम नहीं किया जा सकता है।

175. कथित साजिश के संबंध में एकमात्र सबूत अपराध की जांच करने वाले एक पुलिस अधिकारी पीडब्लू-44 का पूरी तरह से अस्वीकार्य सुनी-सुनाई गवाही है। पीडब्लू-44 ने कहा कि उसने पीडब्लू-39 की जांच की थी, जिसने अपनी जांच के दौरान कहा था कि अल ने पीडब्लू-39 और पीडब्लू-10 को लॉरी स्पेयर की खरीद के लिए कराईकुडी जाने के लिए कहा था। भागों।

176. पीडब्लू-44 ने अपदस्थ किया कि पीडब्लू-39 ने कहा था कि जब वे अरंथंगी पहुंचे तो ए 5 और ए 4 उनके साथ शामिल हो गए और वे मलार लॉज गए

रात करीब 8 बजे कराईकुडी के होटल में ए 2, ए 3, ए 6, ए 7 और ए 8 भी थे। वे सभी एक कमरे में गए, अंदर से दरवाजा बंद कर दिया और डी 2 की हत्या करने का फैसला किया। ए 1 ने कहा था कि वह डी2 को एक लॉरी से मारकर मारने के लिए तैयार था, जिसके लिए उसे सहायता की आवश्यकता थी और उसने ए 8, ए 2 और ए 7 से उसे सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। पीडब्लू-44 ने कहा कि पीडब्लू-39 ने उन्हें बताया था कि साजिश के समय पीडब्लू-39 और पीडब्लू-10 एक ही कमरे में बैठे थे।

177. पीडब्लू-44 के अनुसार, पीडब्लू-39 ने उन्हें बताया था कि पीडब्लू-39 कर सकता है।

पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन पीडब्लू-39 और पीडब्लू-10 ए 3 के घर गए और ए 3 को बताया कि मलार लॉज होटल में क्या हुआ था।

कराईकुडी। ए 3 ने उन्हें सलाह दी कि वे यह खुलासा न करें कि किसी के साथ क्या हुआ था।

178. उल्लेखनीय है कि पीडब्लू-10 ने अपने साक्ष्य में इस बात से इनकार किया है कि वह जानता था

ए 2, ए 7 या ए 8। उन्होंने कहा कि वह ए 1 और ए 3 से ए 6 को जानते हैं। पीडब्लू-10 ने अपदस्थ किया कि वह केवल यह जानता था कि डी2 और डी1 की मृत्यु हो गई थी, लेकिन आगे कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने उनकी जांच की है। उन्होंने अपदस्थ किया कि पुलिस चाहती थी कि वह सड़क पर डी2 और डी1 की मौत के बारे में गवाही देने के लिए गवाह बने। जैसा कि ऊपर बताया गया है, इस गवाह को शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया था और उससे जिरह की गई थी। अपनी प्रतिपरीक्षा में उन्होंने ए 2, ए 7 ए 8 या ए-3 के साथ उनके कथित संपर्क के बारे में जानने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने किसी भी आरोपी के साथ कराईकुडी जाने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने इस बात से भी स्पष्ट रूप से इनकार किया कि उन्होंने पुलिस को किसी साजिश के बारे में बताया था।

अदालत में उन्होंने गवाही दी कि पुलिस ने उनसे पूछताछ नहीं की थी, जिसके बाद उन्हें शत्रुतापूर्ण घोषित कर दिया गया और उनसे जिरह की गई। अपनी जिरह में उसने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि उसे और पीडब्लू-10 को लॉरी के पुर्जे खरीदने के लिए कराईकुडी ले जाया गया था। उसने पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि वह मलार लॉज होटल, कराईकुडी गया था। उन्होंने भी इनकार कर दिया। किसी भी साजिश के बारे में पुलिस को कुछ भी बताया।

उन्होंने स्पष्ट रूप से बशीरा बेगम बनाम। मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

पुलिस को यह बताने से इनकार किया कि वह और पीडब्लू-10 अंतिम पंक्ति में बैठे थे, जबकि अन्य लोगों ने डी2 की हत्या की साजिश रची थी।

180. पीडब्लू-39 ने इस बात से इनकार किया कि ए 2 और ए 7 ने ए-1 को व्यवस्था करने के लिए कहा था।

एक लॉरी। किसी भी मामले में, लॉरी की व्यवस्था करने के लिए ए-1 की आवश्यकता नहीं हो सकती थी, क्योंकि अल के पास पहले से ही एक लॉरी टीडीबी 9635 थी, जिसे लगभग चार बार बेचा गया था।

महीनों बाद। 181. पीडब्लू-39 ने साजिश के बारे में जानकारी होने से स्पष्ट रूप से इनकार किया। उन्होंने ए 1 के अनुरोध पर कराईकुडी जाने से भी इनकार कर दिया।

182. इस तथ्य के अलावा कि पीडब्लू-10 और पीडब्लू-39 ने 21.6.1990 पर कराईकुडी में अपनी उपस्थिति से स्पष्ट रूप से इनकार किया है, पेटेंट हैं।

इस संबंध में पीडब्लू-44 के साक्ष्य में विसंगतियाँ। अगर ए 3 साजिश के समय मलार लॉज होटल, कराईकुडी में मौजूद था

183. अन्यथा भी, यह अकल्पनीय है कि अभियुक्त को उन गवाहों की उपस्थिति में हत्या करने की साजिश रची जानी चाहिए जो साजिश का हिस्सा नहीं थे। 184. यह भी समझना मुश्किल है कि पीडब्लू-10 और पीडब्लू-39 को कभी भी सह-अभियुक्त के रूप में क्यों नहीं रखा गया, अगर वे उस समय मौजूद थे।

साजिश रची और उन्होंने साजिश के बारे में चुप रहने का फैसला किया। पीडब्लू-44 के साक्ष्य को कोई विश्वास नहीं दिया जा सकता है।

185. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के तहत पुलिस को दिए गए बयान

186. पीडब्लू-40, जिन्होंने 1989 से 1991 तक मलार लॉज होटल, कराईकुडी में प्रबंधक के रूप में काम किया था, ने ए 8 या ए 2 को जानने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि रजिस्टर के $1.942 का समर्थन होटल के रिसेप्शनिस्ट द्वारा किया गया था। रिसेप्शनिस्ट ही होटल में ठहरने वाले लोगों का विवरण दर्ज करता था। होटल के प्रबंधक भी थे शत्रुतापूर्ण घोषित किया गया और गवाह द्वारा जिरह की गई। जिरह में उन्होंने उन्हें दिए गए सभी सुझावों को अस्वीकार कर दिया। विशेष रूप से, उन्होंने पुलिस को दिए गए बयानों से इनकार किया, जिसके लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराया गया।

187. अपीलकर्ताओं ने पी. डब्ल्यू.-34, एक हस्तलेखन विशेषज्ञ के साक्ष्य पर भरोसा किया है, यह साबित करने के लिए कि अभियुक्त ने एक मामले में भाग लिया था। 21.6.1990 पर मलार लॉज होटल में साजिश। विशेषज्ञों का साक्ष्य हमेशा निर्णायक नहीं होता है। जैसा कि इस न्यायालय ने मुरारी लाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य 3 के मामले में कहा है कि किसी विशेषज्ञ की राय को स्वीकार करने में खतरा है, इसलिए नहीं कि कोई विशेषज्ञ गवाह के रूप में विश्वसनीय नहीं है, बल्कि इसलिए कि मानवीय निर्णय त्रुटिपूर्ण है। जबकि उंगलियों के निशान की पहचान के विज्ञान ने पूर्णता प्राप्त कर ली है, व्यावहारिक रूप से गलत राय का कोई खतरा नहीं है, हस्तलेखन की पहचान का विज्ञान इतना परिपूर्ण नहीं है। में।

इस मामले में मलार लॉज होटल के प्रबंधक पीडब्लू-40 का साक्ष्य पीडब्लू-34 के साक्ष्य का खंडन करता है।

188. किसी भी मामले में, हस्तलेखन विशेषज्ञ (पीडब्लू 34) का साक्ष्य सबसे ऊपर यह स्थापित करता है कि अभियुक्तों में से एक ए-8, जिसकी मृतक के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, ने मलार लॉज होटल के प्रवेश रजिस्टर में प्रविष्टियां की थीं और हस्ताक्षर किए थे। पीडब्लू-34 के साक्ष्य से यह साबित होता है कि ए 8 ने मलार लॉज होटल में प्रवेश किया होगा।

कराईकुडी 21.6.1990 पर, घटना से छह महीने पहले और कुछ नहीं। ए 8 के कराईकुडी जाने के कई कारण हो सकते हैं। द.

अभियोजन पक्ष घटना और उस तारीख के बीच छह महीने से अधिक के अंतराल की संतोषजनक व्याख्या नहीं कर पाया है जिस दिन मलार लॉज में कथित बैठक हुई थी।

189. यह अच्छी तरह से स्थापित है कि प्रचलित आपराधिक न्यायशास्त्र के तहत

इस देश में एक अभियुक्त को निर्दोष माना जाता है, जब तक कि वह सभी उचित संदेह से परे दोषी साबित न हो जाए। जैसा कि इस न्यायालय ने शिवाजी साहबराव बोबडे बनाम में अभिनिर्धारित किया था। महाराष्ट्र राज्य "", निश्चित रूप से, यह एक प्राथमिक सिद्धांत है।

परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर, जिन परिस्थितियों से अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उन्हें पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए। परिस्थितियाँ निर्णायक होनी चाहिए। स्थापित परिस्थितियों को निश्चित रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए, और किसी अन्य परिकल्पना पर स्पष्टीकरण योग्य नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों को साबित की जाने वाली परिकल्पना को छोड़कर किसी भी अन्य संभावित परिकल्पना को बाहर करना चाहिए। 190. शरद बर्डहिचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1 के मामले में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि जहां कोई चश्मदीद गवाह नहीं है

5 1980 (1) एस. सी. सी. 704

6 (1973) 2 एस. सी. सी. 793

1 7 (1984) 4 एस. सी. सी. 116 बशीरा बेगम बनाम।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

घटना और पूरा मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित होता है, सामान्य सिद्धांत यह है कि जिन परिस्थितियों से अपराध का अनुमान लगाने की कोशिश की जाती है, उन्हें ठोस और दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए; ये परिस्थितियां एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए, जो स्पष्ट रूप से इंगित करती हैं।

अभियुक्त के अपराध के प्रति; संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इससे कोई बच न सके।

निष्कर्ष यह है कि सभी मानवीय संभावनाओं में अपराध अभियुक्त द्वारा किया गया था और वे किसी भी स्पष्टीकरण या किसी भी स्पष्टीकरण में असमर्थ होने चाहिए

यह अभियोजन पक्ष पर है कि वह अभियुक्त के अपराध को उचित संदेह से परे साबित करे। अभियोजन पक्ष को उन सभी परिस्थितियों को साबित करना है जो अभियुक्त के अपराध के बारे में कोई संदेह नहीं छोड़ती हैं। परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करना चाहिए। बीच-बीच में चेन नहीं टूट सकती। 192. यह अच्छी तरह से तय है, संदेह कितना भी मजबूत हो, उचित संदेह से परे प्रमाण का स्थान नहीं ले सकता है। संपत्ति से संबंधित शत्रुता

विवादों से संदेह पैदा हो सकता है। हालाँकि, विश्वास कभी नहीं किया जा सकता है

193. पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह दोहराया जाता है कि किसी अभियुक्त को सभी उचित संदेह से परे दोषी साबित करने का बोझ अभियुक्त पर है। अभियोजन। यदि साक्ष्य के विश्लेषण पर दो विचार संभव हैं, एक जो अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करता है और दूसरा जो अभियुक्त के अपराध के साथ असंगत है, तो दूसरे को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। ए का उलटना

8 2006 (13) एससीसी 116

9 9 2015 (12) एससीसी 644

10 2016 (12) एस. सी. सी. 783

11 2017 (8) एससीसी 497 [2020] 3 एस. सी. आर.

अभियुक्त के निर्णय और दोषसिद्धि के आदेश और बरी होने के आदेश में सामान्य रूप से तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के उलट/बरी होने को विकृति से दूषित नहीं किया जाता है। दूसरे शब्दों में, न्यायालय बरी किए जाने के आदेश को उलट सकता है यदि न्यायालय यह पाता है कि कानून में ठीक से निर्देश प्राप्त कोई भी व्यक्ति रिकॉर्ड पर साक्ष्य के विश्लेषण पर आरोपी को 'नहीं' पाया जा सकता है।

दोषी '। जब अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करने वाला परिस्थितिजन्य साक्ष्य होता है, तो अपराध के उद्देश्य को साबित करना आवश्यक होता है। हालाँकि, जहाँ प्रत्यक्ष साक्ष्य है, वहाँ उद्देश्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है। इस मामले में अपराध का कोई सीधा सबूत नहीं है।

194. साधु सरन सिंह बनाम U.P.[1]2 राज्य के मामले में, यह न्यायालय

यह मत व्यक्त किया गया कि दोषमुक्ति के खिलाफ अपील हमेशा दोषसिद्धि के खिलाफ अपील से पूरी तरह से अलग आधार पर रही है। बरी किए जाने के खिलाफ अपील में, जहां अभियुक्त के पक्ष में निर्दोष होने की धारणा को मजबूत किया जाता है, अपीलीय न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करेगा -

बरी तभी किया जाता है जब विकृति हो। इस मामले में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि को उलटने के लिए दिए गए कारण अभियुक्त कमजोर, असमर्थनीय या साक्ष्य के विकृत मूल्यांकन पर निर्भर होते हैं।

195. इससे पहले कि किसी अभियुक्त के खिलाफ मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर पूरी तरह से स्थापित कहा जा सके, परिस्थितियों से

जिसे अपराध का निष्कर्ष निकाला जाना है, उसे पूरी तरह से स्थापित किया जाना चाहिए और इस प्रकार स्थापित तथ्य केवल अभियुक्त के अपराध की परिकल्पना के अनुरूप होने चाहिए। सबूतों की एक ऐसी श्रृंखला होनी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि आरोपी की बेगुनाही के अनुरूप किसी भी निष्कर्ष के लिए कोई उचित संदेह न छोड़े और यह दिखाना चाहिए कि सभी मानवीय संभावनाओं में यह कार्य आरोपी द्वारा किया गया होगा। 196. शांति देवी बनाम। राजस्थान राज्य 1 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दोषी ठहराने के सिद्धांत

ये हैं:

" 10.1 वे परिस्थितियाँ जिनसे अपराध का अनुमान लगाया जाता है

सिद्ध किए जाने की मांग को ठोस या दृढ़ता से स्थापित किया जाना चाहिए।

10.2 परिस्थितियाँ एक निश्चित प्रवृत्ति की होनी चाहिए।

निर्दोष रूप से अभियुक्त के अपराध की ओर इशारा करते हुए।

10.3 संचयी रूप से ली गई परिस्थितियों को एक ऐसी श्रृंखला बनानी चाहिए जो इतनी पूर्ण हो कि इस निष्कर्ष से कोई बच न सके कि

13 (2012) 12 एस. सी. सी. 158 आशिरा बेगम बनाम।

मोहम्मद इब्राहिम और ओआरएस। [इंदिरा बनर्जी, जे।]

सभी मानव संभावना के भीतर, अपराध द्वारा किया गया था

अभियुक्त और कोई नहीं। 10.4 दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए परिस्थितिजन्य साक्ष्य पूर्ण होना चाहिए और किसी अन्य के स्पष्टीकरण में असमर्थ होना चाहिए।

अभियुक्त के अपराध की तुलना में परिकल्पना और इस तरह साक्ष्य न केवल अभियुक्त के अपराध के अनुरूप होना चाहिए बल्कि उसकी निर्दोषता के साथ असंगत होना चाहिए।

197. उपरोक्त परीक्षण को ध्यान में रखते हुए हमारे पास अभियोजन चलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो दोष को स्थापित करने में बुरी तरह विफल रहा है।उचित संदेह से परे व्यक्ति। इस बात की प्रबल संभावना है कि मृतक जिस मोटरसाइकिल पर सवार थे, वह एक अज्ञात वाहन हो सकता है, जिससे मृतक की मौत हो गई हो। मृत्यु आकस्मिक हो सकती है। उच्च न्यायालय ने निर्णय को सही ढंग से खारिज कर दिया है और

विचारण न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और अभियुक्त को बरी कर दिया गया।

198. हम अपीलों में कोई योग्यता नहीं पाते हैं। अपील विफल हो जाती है और

मुझे बर्खास्त कर दिया जाता है।

याचिकाएं

खारिज कर दी गईं।

पांडे